

सूची

क्र.सं.	मद	पृष्ठ सं.
1.	मिनट दर मिनट बैठक की कार्यवाही।	2
2.	परिचय एवं उद्देश्य।	3—4
3.	वर्तमान एजेण्डा।	5
4.	प्रेम समूह के सदस्यों एवं विभागाध्यक्षों से प्राप्त सुझाव।	6—15
5.	पिछले प्रेम बैठक (11.09.2018) के कार्यवृत्त पर मदवार टिप्पणी।	16—43

मिनट दर मिनट प्रेम बैठक की कार्यवाही

क्र.सं.	मद	अधिकारी	बजे से	बजे तक
1.	प्रेम ग्रुप के सदस्यों का स्वागत।	उप महाप्रबंधक (सा.)	11.30	11.35
2.	अध्यक्ष / प्रेम ग्रुप द्वारा अध्यक्षीय संबोधन।	महाप्रबंधक	11.35	11.40
3.	प्रेम ग्रुप सदस्य के वक्तागण :—			
	ईसीआरकेयू	अध्यक्ष	11.40	12.00
		महासचिव		
		अपर महासचिव		
		सहायक महासचिव		
	एससी / एसटी एशो०	जोनल अध्यक्ष	12.00	12.10
		जोनल सचिव		
	ओ०बी०सी० एशो०	जोनल अध्यक्ष	12.10	12.20
		जोनल सचिव		
	ईसीआरपीओए	अध्यक्ष	12.20	12.30
		महासचिव		
	ईसीआरओए	अध्यक्ष	12.30	12.40
		महासचिव		
4.	वर्तमान एजेंडा पर विभागाध्यक्षों द्वारा चर्चा :	सभी विभागाध्यक्ष	12.40	13.00
5.	वर्तमान एजेंडा पर खुली चर्चा।	अध्यक्ष के अनुमति से	13.00	13.28
6.	धन्यवाद ज्ञापन।		13.28	13.30

परिचय

- प्रेम(PREM)—प्रबंधन में रेल कर्मचारियों की भागीदारी
- इसे रेल मंत्रालय स्तर पर वर्ष—1972 में एवं क्षेत्रीय रेल स्तर पर वर्ष—1977 में स्थापित किया गया था।
- भारतीय रेल में यह त्रिस्तरीय आधार पर कार्य करता है।
 1. रेलवे बोर्ड स्तर(श्रम प्रबंधन का कॉरपोरेट इंटरप्राइजेज समूह)
 2. क्षेत्रीय रेल स्तर
 3. मंडल रेल स्तर

रेलवे बोर्ड स्तर

- अध्यक्ष— अध्यक्ष रेलवे बोर्ड
- संयोजक— सचिव रेलवे बोर्ड
- प्रशासन की ओर से—सदस्य रेलवे बोर्ड, सलाहकार एवं कार्यकारी निदेशक
- कर्मचारी की ओर से—ईआईआरएफ एवं एनएफआईआर के चार—चार प्रतिनिधि
- रेलवे अधिकारी संघ के —दो प्रतिनिधि
- रेलवे प्रोमोटी अधिकारी संघ के—दो प्रतिनिधि

क्षेत्रीय रेल स्तर

- अध्यक्ष— महाप्रबंधक
- सचिव — उप महाप्रबंधक / सामान्य
- प्रशासन की ओर से — अपर महाप्रबंधक एवं सभी प्रधान विभागाध्यक्ष
- कर्मचारी की ओर से —ईसीआरकेयू(प्रभावित यूनियन) के चार प्रतिनिधि
- रेलवे अधिकारी संघ के —दो प्रतिनिधि
- रेलवे प्रोमोटी अधिकारी संघ के —दो प्रतिनिधि
- एससी / एसटी संघ के—दो प्रतिनिधि
- ओबीसी संघ के—दो प्रतिनिधि
- आरपीएफ संघ के—दो प्रतिनिधि

मंडल रेल स्तर

- अध्यक्ष— मंडल रेल प्रबंधक
- सचिव — वरि0 मंडल कार्मिक अधिकारी / मंडल कार्मिक अधिकारी
- प्रशासन की ओर से —अपर मंडल रेल प्रबंधक एवं सभी शाख अधिकारी
- कर्मचारी की ओर से —ईसीआरकेयू(प्रभावित यूनियन) के चार प्रतिनिधि
- रेलवे अधिकारी संघ के—दो प्रतिनिधि
- रेलवे प्रोमोटी अधिकारी संघ के —दो प्रतिनिधि

वर्ष 2016 में क्षेत्रीय रेल स्तर पर आयोजित प्रेम बैठक

- बैठक :तीन महीने में एक बार
- प्रथम बैठक : 29 अप्रैल 2016
 - द्वितीय बैठक :02 सितंबर 2016
 - तृतीय बैठक :15 दिसंबर 2016

वर्ष 2017 में क्षेत्रीय रेल स्तर पर आयोजित प्रेम बैठक

- प्रथम बैठक : 24 मार्च 2017
- द्वितीय बैठक : 24 अगस्त 2017
- तृतीय बैठक : 28 दिसंबर 2017

वर्ष 2018 में क्षेत्रीय रेल स्तर पर आयोजित प्रेम बैठक

- प्रथम बैठक : 15 मई 2018
- द्वितीय बैठक : 11 सितंबर 2018

उद्देश्य

- रेलवे संगठन की व्यवहारिक कार्यक्षमता को विकसित करने और रेलवे की सेवा प्रदाता संगठन की छवि बनाये रखने के मुख्य उद्देश्य से प्रबंधन में श्रमिकों की बेहतर और सुव्यवस्थित भागीदारी सुनिश्चित करना।
- रेलवे संगठन के संचालन और गठन करने हेतु विचारों का प्रमाणित एवं निर्वाध रूप से आदान-प्रदान करना।
- निवेश कार्यक्रमों खासकर आवास और कल्याण गतिविधियों का मूल्यांकन।
- नोट: कर्मचारी मामलों पर विमर्श तब तक नहीं हो सकता जब तक कि संगठन को समग्र उत्पादकता के साथ नहीं जोड़ा जाय।

प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी

- 1917 में यूनाइटेड किंगडम में बहीट्ले समिति ने अनुशंसा की थी कि निम्न के विमर्श के लिए कर्मचारियों को भाग लेने का अवसर देना चाहिए:—
- संगठन, कर्मचारी और समुदाय के सामान्य लाभ के लिए उत्पादकता बढ़ाने हेतु।
- उत्पादकता की प्रक्रिया में कर्मचारी को संगठन में उनकी भूमिका को बेहतर रूप से समझने के लिए।
- औद्योगिक शांति, बेहतर संबंध और सहयोग प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों की स्वयं को अभिव्यक्त करने की इच्छा को संतुष्ट करने के लिए।
- रेलवे में ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों को लंबे समय से साझा बनाते हुए श्रमिकों की भागीदारी निम्न विभिन्न क्षेत्रों के लिए रही है:—
- कर्मचारी कल्याण निधि समिति
- आवास समिति
- रनिंग रुम सलाहकार समिति
- कैंटीन प्रबंधन समिति
- हॉस्पीटल विजिटिंग समिति
- श्रमिक सलाहकार समिति
- रेलवे इंस्टीट्यूट और क्लब का कार्यकारी समिति
- वर्कशॉप उत्पादकता परिषद्
- इसके अतिरिक्त रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय रेल और मंडलों में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, प्रबंधन और श्रमिकों की सामूहिक उद्यम समूहका गठन कर लिया गया है जिसे अब प्रबंधन में रेलवे कर्मचारियों की भागीदारी (प्रेम) कहा जाता है।

चर्चा का विषय

1. निश्चित अवधि के अंदर पेंशन भुगतान।
2. जाड़े के मौसम में सुरक्षित परिचालन।
3. मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के समय पालन में सुधार।
4. पूर्व मध्य रेल पर मंडलीय/अतिरिक्त मंडलीय अस्पतालों की कार्य-प्रणाली।

वर्तमान एजेंडा पर विभागाध्यक्ष एवं प्रेम ग्रुप के सदस्यों से प्राप्त सुझाव/विचार :

अध्यक्ष / ईसीआरकेयू	
एजेंडा-(1) निश्चित अवधि के अंदर पेंशन भुगतान।	
1.1	<ul style="list-style-type: none"> ● प्रायः सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के दिन पीपीओ पेपर सुपूर्द कर दिया जाए। ● सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी का खाता नंबर जांच उपरांत सुनिश्चित किया जाए कि खाता सही है या गलत। ● लेखा विभाग से संबंधित कर्मचारी यह सुनिश्चित करे कि बैंक को पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) प्राप्त हुआ या नहीं एवं समय-समय पर पेंशन विभाग से वार्ता किया जाए।
एजेंडा-(2) जाड़े के मौसम में सुरक्षित परिचालन।	
2.1	<ul style="list-style-type: none"> ● रात में गाड़ियों की फुट प्लेटिंग पर जोर। ● परिचालन से जुड़े रेलकर्मियों को वॉकी-टॉकी उपलब्ध कराया जाए। ● सभी गाड़ियों में फॉग सिगनल डिवाइस (FSD) की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। ● सभी सिगनल साइटिंग बोर्ड,सी/फा बोर्ड,पटाखा सिगनल खंभा तथा व्यस्त समपार फाटको पर चमकीला पट्टी लगाया जाय। ● सिगनल साइटिंग बोर्ड के निकट रेल पथ के आर-पार चूने का निशान लगाया जाए। ● कोहरे में कार्य करने वाले फॉग मैन को सुपरवाईजरों द्वारा प्रशिक्षित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। ● प्रयुक्त होने वाले पटाखों की तिथि की जाँच एवं उन पटाखों का प्रयोग कर उसकी गुणवत्ता की जांच की जाए।
एजेंडा-(3) मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के समय पालन में सुधार।	
3.1	<ul style="list-style-type: none"> ● मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के परिचालन का अलग से 24 घंटे मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जाए। ● गाड़ियों में इंजन के बदलाव के समय का मॉनिटरिंग किया जाय। ● गाड़ियों में होने वाले ए.सी.पी. पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाय। ● इकहरी लाईन में गाड़ियों के कॉसिंग में प्राथमिकता के आधार पर कॉसिंग दी जाए। मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों की वाशिंग एवं रख-रखाव के कार्य प्राथमिकता के आधार पर की जाए।
महासचिव / ईसीआरकेयू	
एजेंडा-(1) निश्चित अवधि के अंदर पेंशन भुगतान।	
1.1	रेल प्रशासन को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि सेवानिवृत्ति के बाद दो माह के अंदर पेंशन भुगतान सुनिश्चित हो। इसके लिए राष्ट्रीयकृत बैंक के उच्च पदाधिकारियों के साथ समय-समय पर बैठक आयोजित करना चाहिए।
एजेंडा-(2) जाड़े के मौसम में सुरक्षित परिचालन।	
2.1	<ul style="list-style-type: none"> ● रेल गाड़ियों के सुरक्षित परिचालन के लिए निम्न कार्य प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए। ● कुहासे की स्थिति में फॉग सिगनल डिवाइस लगाना चाहिए। ● सिगनल से पहले पटाखे का प्रयोग लोको पायलट, स्टेशन मास्टर एवं गार्ड के बीच बातचीत सुनिश्चित होना चाहिए। ● संरक्षा के मद्देनजर कुहासे में लोको पायलट द्वारा गाड़ियों के गति नियंत्रण हेतु ट्रेनों का ब्रेक पावर अच्छा होना चाहिए ताकि लोको पायलट अवश्यकता पड़ने पर निश्चित दूरी पर गाड़ी को रोक सके। इंजन का वाइपर,बालू एवं लुकिंग ग्लास साफ होना चाहिए। ● पेट्रॉलिंग कीव्यवस्था निश्चित होना चाहिए तथा उनको टॉर्च,फ्लोरेसेंट यूनिफॉर्म,डेटोनेटर आदि की आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहिए। ● स्टेशन मास्टर एवं पेट्रॉलमैन का समय-समय पर काउंसिलिंग होना चाहिए।

	<ul style="list-style-type: none"> • लोको पायलट द्वारा गेट के पास हॉर्न का उपयोग लगातार करना चाहिए। • सभी सिगनलिंग डिवाइस में LED लाइट का प्रयोग करना चाहिए। <p>एजेंडा-(3) मेल / एक्सप्रेस गाड़ियों के समय पालन में सुधार।</p>
3.1	कुहासे एवं जाडे के मौसम में गाड़िया प्रायः लेट लतीफ चलती है किंतु कू को समय पर बुला लिया जाता है। अतः कू को गाड़ियों के विलंबानुसार बुलाने की व्यवस्था होनी चाहिए।
अध्यक्ष / ईसीआर / एससी एण्ड एसटीएशो	
एजेंडा-(1) निश्चित अवधि के अंदर पेंशन भुगतान।	
1.1	<ol style="list-style-type: none"> 1. सेवानिवृत्ति कर्मचारी के जीवनका महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रत्येक कर्मचारी के जीवन में अपने उद्देश्य एवं लक्ष्य होते हैं। यही उद्देश्य एवं लक्ष्य हमारे लघु, मध्यम एवं दीर्घकालीन अवधि के कार्य कलापों को प्रभावित करते हैं। 2. सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित अवधि के अंतर्गत पेंशन भुगतान महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रशासन को सेवानिवृत्ति के उपरांत कम से कम अवधि में पेंशन भुगतान की व्यवस्था करनी चाहिए। 3. पेंशन भोगी को सेवानिवृत्ति माह के अगले माह से पेंशन चालू हो जाना चाहिए। 4. पेंशन भोगी के खाते में प्रत्येक माह समय से पेंशन जमा हो जाना चाहिए। पेंशन राशि में अशुद्धि न हो इसका ध्यान रखना चाहिए। 5. प्रशासन को पी.पी.ओ जमा करने, पेंशन स्क्राल प्राप्त करने की दिशा में नामित नोडल शाखा से मिल कर कार्य करना चाहिए एवं पी.पी.ओ विभिन्न लिंक शाखाओं के बदले सीधे नामित नोडल शाखा को भेजा जाए। 6. विभिन्न लिंक शाखा केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण कक्ष को पी.पी.ओ समय से भेजना सुनिश्चित करें। ताकि पेंशन भोगी को समय से पेंशन भुगतान किया जा सके।
एजेंडा-(2) जाडे के मौसम में सुरक्षित परिचालन।	
2.1	<ol style="list-style-type: none"> 1. जाडा प्रारम्भ होने के पूर्व मुख्यालय स्तर से दिशा निर्देश पारित कर जोनल/मंडलस्तर पर नुककड़ नाटक/सेमिनार / जागरूकता अभियान चलाकर परिचालन से संबंधित विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों को जागरूक करने की अवश्यकता है। 2. जब तापमान कम हो जाये तो रेल लाइन की पेट्रोलिंग शुरू कर देना चाहिए। रेल लाइन में खिचाव के कारण रेल लाइन टूटने की संभावना अधिक होती है। 3. मानव रहित एवं मानव सहित लेवल कॉसिंग गेट पर विशेष ध्यान खासकर जाडे के मौसम में निरीक्षण करना चाहिए। 4. कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री मानक के अनुरूप होनी चाहिए। 5. पेटॉलिंग के लिए कम से कम दो कर्मचारियों को लगाया जाना चाहिए। 6. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कर्मचारी शार्ट कट विधि न अपनाये।
एजेंडा-(3) मेल / एक्सप्रेस गाड़ियों के समय पालन में सुधार।	
3.1	<ol style="list-style-type: none"> 1. किसी अप्रत्याशित घटना तुरंत निपटाने की व्यवस्था तैयार रहना चाहिए। 2. देर से चलने वाली ट्रेनों की फूट प्लेटिंग होनी चाहिए। 3. आवश्यकतानुसार ट्रेनों के उचित अनुरक्षण, रख-रखाव में लगाने वाले समय में कमी लाकर तथा मंडलों से खुलने वाली ट्रेनों को समय से खोलने की व्यवस्था करने चाहिए। 4. लेवल कॉसिंग गेटों पर सावधानी बरतकर उससे होने वाले हादसों को टालकर। 5. ट्रेनों की साफ-सफाई, वाशिंग में लगाने वाले समय को कम करके। 6. कर्मचारियों को उनके अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कृत करके उनके मनोबल को बढ़ाकर। 7. मंडल रेल प्रबंधक के साथ परिचालन से संबंधित अधिकारियों का नियमित मीटिंग कर समस्यों के त्वरित गति से नियन्त्रण करके। 8. योजना बनाकर मालगाड़ियों को लूप लाइन व उपलब्ध मार्ग पर चलाकर; ताकि मेल / एक्सप्रेस ट्रेन प्रभावित न हो।

एजेंडा-(4) पूर्व मध्य रेल पर मंडलीय/अतिरिक्त मंडलीय अस्पतालों की कार्य-प्रणाली ।

4.1	<p>सभी मंडलोंके अस्पतालों की गिनती रेलवे के सबसे सुविधा संपन्न अस्पतालों में की जाती है। रेलवे अस्पतालों की स्थापना कर्मचारियों व उनके आश्रितों की बेहतर स्वास्थ्य के लिए की गई है।</p> <p>(i) प्रायः सभी मंडल अस्पतालों में जीवन रक्षक दवाओं की अनुपलब्धता,लोकल परचेजिंग एक गम्भीर मुददा बनता जा रहा है।</p> <p>(ii) अस्पतालों में अल्ट्रासाउण्ड मशिनों का उपयोग उनके विशेषज्ञ नहीं होने के कारण नहीं हो रहा है।</p> <p>(iii) मुगलसराय मंडल में गायनी के डाक्टर नहीं है, उपलब्धता सुनिश्चित किया जाय। महिला वार्ड लगभग समाप्त हो गया है।</p> <p>(iv) मंडल अस्पताल से जो प्राइवेट अस्पताल कॉन्ट्रैक्ट पर कनेक्ट है, रेफर के द्वारा बेहतर इलाज होता है।</p> <p>(v) मुगलसराय मंडल अस्पताल में सर्जन डाक्टर की उपलब्धता पूरे सप्ताह सुनिश्चित की जाय औ ०८०० का मेंटेनेंस कराया जाय एवं लेप्रोस्कोपी सेट उपलब्ध कराया जाय, डेंटल एक्स-रे मशिन खराब है ठीक कराया जाय एवं एक्स-रे फिल्म की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।</p> <p>(vi) मंडल अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी के कारण भी कार्य प्रभावित हो रहा है, कर्मचारियों की कमी को पूरा किया जाय। सभी मंडलों अस्पतालों में अंदर बाहर साफ-सफाई एवं रंगाई पूताई की अवश्यकता है को कराने की व्यवस्था किया जाय।</p>
-----	---

महासचिव/ईसीआर/ओबीसीई एशो

एजेंडा-(1) निश्चित अवधि के अंदर पेंशन भुगतान।

1.1	<p>सभी कर्मचारियों/अधिकारियों के सेवा पुस्तिका को ऑन लाईन करने की आवश्यकता है। इससे सभी कर्मचारी/अधिकारी अपनी सेवा पुस्तिका को आसानी से देख कर समझ सकते हैं। इस पुस्तिका में सभी प्रकार की गतिविधियों का समावेश रहता है। पेंशन भुगतान की निश्चित अवधि के अन्दर करने के परिप्रेक्ष्य में कार्मिक विभाग एवं वित्तीय विभाग का महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यहाँ दोनों विभाग में सामंजस्य स्थापित होना अति आवश्यक है।</p> <p>रेल कर्मचारी/परिवार को मिलने वाला लाभ का रिपोर्ट बनाने एवं समय पर जमा करने में विभाग के हित निरीक्षक का योगदान सबसे अधिक है। कर्मचारी का सेवानिवृत्त हो, स्वैच्छा सेवानिवृत्त हो या अन्य प्रकार के कैजुअल्टी केश सभी का रिपोर्ट बनाकर हित निरीक्षक को ही सक्षम अधिकारी के पास जमा करना होता है। तत्पश्चात् लेखा विभाग के द्वारा विधिका पर कर्मचारी/ कर्मचारी के परिवार को मिलता है। हित निरीक्षक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को छोड़कर स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति या कैजुअल्टी की केश फाईल सही समय पर सही रिपोर्ट लगाकर सक्षम अधिकारी के पास जमा नहीं कर पाते, कुछ न कुछ कमी रहता है, जिस कारण समयावधि के अन्दर भुगतान सही रूप में नहीं हो पाता एवं सक्षम अधिकारी समय कम रहने के बजाए से समय के अन्दर समस्या का निष्पादन कर ही नहीं पाते कैजुअल्टी के केश में समस्याएं ज्यादा ही रहती है।</p> <p>इस परिप्रेक्ष्य में हित निरीक्षक अपनी सेवा भावना के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी, स्वैच्छा सेवानिवृत्त केश को सही वक्त पर सक्षम अधिकारी के पास भेजना चाहिए एवं कैजुअल्टी के केश में कर्मचारी के परिवार के सदस्यों का रिपोर्ट, कर्मचारी के सेवाकाल का रिपोर्ट सही वक्त पर बनाकर कर्मचारी हित में सक्षम अधिकारी के पास प्रस्तुत करे जिससे सक्षम अधिकारी केश फाईल का निष्पादन सवमयावधि के अन्दर कर लाभ दिला सके।</p>
-----	---

एजेंडा-(2) जाड़े के मौसम में सुरक्षित परिचालन।

2.1	<ol style="list-style-type: none"> जाड़े के मौसम में सुरक्षित परिचालन के लिए सभी रनिंग कर्मचारियों को जाड़े के मौसम आने से पहले जिनका रिफ्रेशर, टेक्नीकल, पी.एम.ई. Due होनेवाला हो उन्हें जाड़े से पहले करा लिये जाये। लोको पायलट को सिगनल लोकेशन पुस्तिका अप-टू-डेट मिलना। लोको पायलट को एफ.एस.डी. (फॉग सेफ डिवाईस) मिलना आवश्यक हो।
-----	--

4. गार्ड का टेल लैम्प निश्चित आकार का एल.ई.डी तथा एल.वी. बोर्ड रेट्रो रिफ्लेक्टर टाईप का होना।
5. गार्ड व लोको पायलट को टॉर्च एल.ई.डी. उपलब्ध होना।
6. लम्बी दूरी के क्रू लिंक को शॉर्ट क्रू लिंक बनाया जाना।
7. लोकोमोटिव में हेड लाईट फ्लेशर लाईट, मार्कर लाईट, वाईपर सैण्डर, वी.सी.डी. कार्यरत होना चाहिए।
8. डिस्टैंस सिग्नल के सामने ट्रैक पर चूने के सफेद पट्टी से रंगा होना तथा सिग्नल का पोस्ट काला व पीला पट्टी रेट्रो रिफ्लेक्टर टाईप लगना चाहिए जो रोशनी पड़ने पर चमकदार दिखे।
9. W/L, RW/L, बोर्ड सभी इंजीनियरिंग बोर्ड, कॉशन बोर्ड, स्पीड बोर्ड, टर्मिनेटिंग बोर्ड, वार्निंग बोर्ड, गुड्स/पैसेंजर वार्निंग बोर्ड, सिग्मा बोर्ड सभी रेट्रो रिफ्लेक्टर टाईप से लिखा या स्टीकर चिपका होना एवं सिग्नल पर 'एरो →' का मार्किंग होना चाहिए।
10. गेट के बेरियर पर काला—पीला चमकदार पट्टी लगा होना चाहिए जिससे इंजन/वाहन का लाईट पड़ते ही दिखाई देने लगे।
11. सिंगल लाईन में डिस्टैंस सिग्नल से 270/280 मीटर पर पटाखा लगाना।
12. विजबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट (वी.टी.ओ.) पोस्ट को समय—समय पर दुरुस्त करना।
13. कुहासे के समय रात में यार्ड में शंटिंग कम से कम करायी जाय यदि यार्ड मेन लाईन से अटैच हो तो जब तक आवश्यक न हो शंटिंग न करायी जाय।
14. सुरक्षित परिचालन के लिए ट्रेनिंग स्कूल, टी.आई., एस.आई., सी.एल.आई. के द्वारा सभी लाईन में कार्यरत कर्मचारियों की गहन कांउसिलिंग करायी जाय।

एजेंडा-(3)मेल / एक्सप्रेस गाड़ियों के समय पालन में सुधार।

- | | |
|-----|---|
| 3.1 | <ol style="list-style-type: none"> 1. मेल / एक्स. गाड़ियों के लिए ग्रेडिंग के अनुसार क्रू का बुकिंग की जानी चाहिए। 2. लोको पायलट को बेहतर प्रशिक्षण व प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र में अलग—अलग लोकोमोटिव का प्रशिक्षण कराया जाना तथा प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र में सेमुलेटर प्रशिक्षण की व्यवस्था होना। 3. लोकोमोटिव व कोच का मैटेनेंस समय—समय पर अच्छी तरह होना साथ ही पुराने या अधिक समय से रखे पार्ट को लोकोमोटिव एवं कोच में न लगाना एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था। 4. लोको पायलट को सेक्शन का सही लर्निंग होना तथा क्रू को सही लिंक पर कार्य करना (क्रू लिंक पर कार्य करना)। 5. सेक्शन में इंजीनियरिंग बोर्ड सही आकार एवं सही स्थान पर लगा होना। 6. सिग्नल की दृश्यता साफ व स्पष्ट होनी चाहिए। 7. सेक्शन में कॉशन कम से कम हो। 8. गार्ड एवं लोको पायलट के बीच संचार के साधन सही होना। 9. गार्ड को समय पर गार्ड बॉक्स गाड़ी तक पहुँचाना। 10. मेल / एक्स. गाड़ियों के आगे—आगे पैसेन्जर या अन्य कोई गाड़ी न चलाई जाये। इसमें अतिरिक्त ठहराव से परिचालन प्रभावित होता है। 11. गाड़ियों के समय से बहुत पहले लोको पायलट या गार्ड को कॉल कराया जाना तथा प्लेटफार्म पर अधिक समय तक wait करना जिससे Pre departure time बढ़ जाता है। 12. जंक्शन स्टेशन में गाड़ियों का लेट में आगमन तथा प्रस्थान करना जिससे गाड़ियां out side कम से कम खड़ी हो इसकी समय में सुधार करना। |
|-----|---|

	<p>13. मेल / एक्स. गाड़ियों में same लोड व पावर से चलाने पर समय की बचत होगी।</p> <p>14. मेल / एक्स. गाड़ियों के लिए इंजन काटना एवं दूसरा इंजन को जोड़ने का कार्य टी.एक्स. आर. अनुभाग द्वारा कराया जाना।</p> <p>15. मेल / एक्स. गाड़ियों में स्कॉर्टिंग (आर.पी.एफ) की दुरुस्त व्यवस्था होनी चाहिए जिससे चैन पुलिंग न हो।</p>
--	---

एजेंडा-(4) पूर्व मध्य रेल पर मंडलीय/अतिरिक्त मंडलीय अस्पतालों की कार्य-प्रणाली।

4.1	<ol style="list-style-type: none"> 1. मंडलीय/अतिरिक्त मंडलीय अस्पतालों में रेलवे डॉक्टरों को समय पर अपने आउट डोर कमरे में मरीज को देखने के लिए बैठना चाहिए। प्रायः देखा गया है कि मंडलीय/अतिरिक्त मंडलीय अस्पतालों में कुछ डॉक्टर समय पर पहुंचते ही नहीं। अतेव कर्मचारी के साथ-साथ सभी डॉक्टरों को समय पालन हेतु बायोमेट्रिक प्रणाली की व्यवस्था की जाय। 2. मंडलीय/अतिरिक्त मंडलीय अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों को प्राईवेट प्रेक्टिस करने पर पूर्णतः प्रतिबंध की व्यवस्था। 3. रेलवे अस्पतालों में एक ही स्थान पर 15–20 वर्षों तक कार्यरत डॉक्टरों का अविलम्ब स्थानान्तरण की व्यवस्था। 4. पूमरे के सभी अस्पतालों में सीक एवं फीट के अधिन रहनेवाले कर्मचारियों को प्रमाण पत्र देने का प्राधिकार इलाज करनेवाले डॉक्टर को हो, मरीज को बेहोश करने वाले डॉक्टर के पास न हो। 5. रेलवे अस्पतालों के आउट डोर में इलाज के वास्ते अधिकतर सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी आते हैं इनके लिए दवा काउन्टर के पास बैठने की व्यवस्था हो। 6. पूमरे के सभी अतिरिक्त मंडलीय चिकित्सालय में निश्चित अवधि तक डॉक्टर को मरीज देखने के लिए निर्देशित किये जाये, प्रायः समय पर आते ही नहीं। इनके जगह कार्यरत कंपाउंडर संभालते हैं। 7. अस्पतालों में अधिकांशतः महिला कर्मचारियों की नियुक्ति हो रही है, पुरुष वर्ग की कमी है। जब मरीज को ट्रॉली से भरती करने या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में महिला के साथ परेशानी होती है, परिस्थिति को देखते हुए पुरुष कर्मी का भी नियुक्ति प्रक्रिया हो। 8. मंडलीय अस्पताल, मुगलसराय में सफाई की स्थिति ठीक नहीं होने की वजह सफाई कर्मचारी का न होना बताया जाता है। वर्तमान में मंडलीय कार्यालय सहित कॉलोनी की सफाई की व्यवस्था कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर चल रहा है। अतएव मुख्य स्वरथ निरीक्षक के अधीन कार्यरत सफाई कर्मचारी को अस्पताल में कार्य हेतु लगाया जाय ताकि अस्पताल की सफाई ठीक हो।
-----	--

प्रमुखिदूइं

एजेंडा-(1) निश्चित अवधि के अंदर पेंशन भुगतान।

1.1	पेंशन भुगतान को निश्चित अवधि में करने के लिए यह आवश्यक है कि कर्मचारी की सेवा-पुस्तिका, अवकाश लेखा, सर्विस कंटीन्यूटी तथा पी.एफ.बैलेंस अवकाश प्राप्ति के कम से कम 6 महीने पूर्व विभाग द्वारा अद्यतन कर लिया जाये तथा संबंधित बैंक से त्वरित कार्रवाई हेतु समन्वय स्थापित किया जाय।
-----	--

एजेंडा-(2) जाड़े के मौसम में सुरक्षित परिचालन।

2.1	जाड़े एवं कुहासे के मौसम में संरक्षित रेल परिचालन हेतु निम्नलिखित सुझाव है:
	(1) इस संबंध में दिए गए दिशा-निर्देशों यथा फाग सिगनल लगाना, लुमिनस स्ट्रीप लगाना इत्यादि सुनिश्चित किया जाय तथा नियमों का अक्षरण किया जाए तथा इस संबंध में लोको पायलट एवं

	<p>ट्रेन पासिंग स्टाफ की काउंसलिंग की जाए एवं सेपटी सेमिनार का आयोजन किया जाय।</p> <p>(2) इन समस्याओं से निपटने के लिए कैब सिगनलिंग लगाने के बारे में विचार किया जा सकता है।</p> <p>एजेंडा-(3) मेल / एक्सप्रेस गाड़ियों के समय पालन में सुधार।</p>
3.1	<ul style="list-style-type: none"> • गाड़ी की रनिंग की मानिटरिंग के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाए। गाड़ी के परिचालन में आने वाली बाधाओं का शीघ्र निपटान किया जाए। • व्यस्त खंडों में ऑटोमैटिक सिगनलिंग की व्यवस्था की जा सकती है। • गति प्रतिबंध कम किया जाए। • व्यस्त खंडों में बाईंपास लाईन की व्यवस्था किया जाए।
प्रमुखप्रिप्र	
एजेंडा-(1) निश्चित अवधि के अंदर पेंशन भुगतान।	
1.1	<ul style="list-style-type: none"> • केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अपने पेंशन भुगतान की स्थिति की जानकारी ऑनलाइन ले सकते हैं। यह सेवा पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग के पेंशनर्स पोर्टल पर उपलब्ध है। • पेंशन वितरण में विलंब रोकने के लिए केंद्र ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के समय पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) के साथ ही उनके अन्य बकायों के भुगतान की व्यवस्था करने का निर्णय किया है। • वर्तमान में केंद्र सरकार के असैन्य पेंशन भोगियों को अधिकृत बैंकों के जरिए पेंशन के भुगतान की व्यवस्था है। सेवानिवृत्ति हो रहे सरकारी कर्मचारी या पेंशन द्वारा बैंक को एक शपथ पत्र जमा करने पर केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय पेंशन जारी करता है। • कार्मिक मंत्रालय ने कहा है कि यहदेखने में आया है कि सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के प्रथम भुगतान में दो कारणों से विलंब होता है। पहला कारण पेंशनभोगी द्वारा यह सूचना देने में विलंब कि पेंशन के कागजात बैंक के पास जमा करा दिए गए हैं। दूसरा कारण शपथ पत्र जमा करने के लिए पेंशनभोगी की ओर से बैंक को संपर्क करने में विलंब है। • मंत्रालय ने एक आदेश में कहा है कि पेंशनभोगी को पेंशन के प्रथम भुगतान को सक्रिय करने के लिए अब बैंक का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए, यह पक्का होने के बाद की बैंक की प्रति केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा जारी कर दी गई है, पेंशन भोगी की पीपीओ की प्रति उसे सेवानिवृत्ति के समय सौंपी जा सकती है। • मंत्रालय ने कहा है कि यह उन सभी मामलों में व्यवहारिक है जहां सरकारी कर्मचारी ने समय सीमा के भीतर पेंशन के कागजात जमा करा दिए हैं।
एजेंडा-(2) जाड़े के मौसम में सुरक्षित परिचालन।	
2.1	<p>इस संबंध में सभी वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक को इस कार्यालय का सं. ECR/OPTG. Safety/Fog Precaution/48/505, दिनांक 01.08.2017, 20.09.2017, 09.10.2017, एवं 01.11.2017 को पत्र लिखा गया है। पुनः इस संबंध में सभी वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक को इस कार्यालय के पत्र सं० ECR/OPTG. Safety/Fog Precaution/48/505, दिनांक 03.10.2018 एवं दिनांक 11.10.2018 को पत्र लिखा गया है। जिसमें जाड़े में संरक्षित रेल परिचालन हेतु G&SR 3-61 के प्रावधानों को Fog weather से पहले पुरा कर लिया जाय, जिससे रेलवे गाड़ियों का संरक्षित परिचालन हो सके।</p>
एजेंडा-(3) मेल / एक्सप्रेस गाड़ियों के समय पालन में सुधार।	
3.1	<ol style="list-style-type: none"> 1. समय—समय पर ट्रेनों के इंजन व गार्ड के डिब्बे में बैठकर फुट प्लेटिंग करके तकनीकी खामियों का निरीक्षण कर उसे तत्काल दूर कर समय पालन में सुधार किया जा रहा है। 2. चेन पुलिंग कर ट्रेन रोकने की घटनाओं पर आरपीएफ द्वारा अंकुश लगा कर समय पालन में सुधार किया जा रहा है। 3. पर्याप्त संख्या में मेटीनेंस ब्लॉक देने से, इंजीनियरिंग विभाग, टीआरडी व सिगनल एवं दूरसंचार विभाग को ट्रेनों के परिचालन में इस्तेमाल होने वाले कल पुर्जों के रखरखाव के लिए पर्याप्त समय मिल सके। इससे रेल परिचालन एवं समय पालन सुधार किया जा रहा है। 4. नई रेल लाइन शुरू करने, मेन लाइन की सवारी गाड़ियों के कन्वेंशनल रैक के बदले में मेमू रैक में चलाने, पैनेल इंटर लाइंग सिस्टम शुरू करने से समय पालन में सुधार किया जा रहा है। इस तरह से

	मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के समय पालन में सुधार किया जा रहा है।
प्रविस	
	एजेंडा-(1) निश्चित अवधि के अंदर पेंशन भुगतान।
1.1	<p>लेखा विभाग में पेंशन भुगतान के मामले को निम्न दो भागों में विभागों वर्गीकृत किया है। :-</p> <p>(1) सामान्य सेवानिवृति के मामले, अर्थात् अधिवार्पिता उपरांत एवं</p> <p>(2) असामान्य सेवानिवृति के मामले यथा मृत्योपरांत, स्वैच्छिक सेवानिवृति आदि।</p> <p>सामान्य सेवानिवृति के मामलों में पेंशन सहित समस्त लाभों का भुगतान संबंधित कर्मचारियों की सेवानिवृति तिथि को ही निष्पादित कर दी जाती है। जबकि असामान्य सेवानिवृति के मामलों में यह अवधि कार्मिक विभाग द्वारा संबंधित कर्मचारियों के बिलों को लेखा विभाग में IPAS पोर्टल पर हस्तांतरित किए जाने एवं संबंधित संचिकाओं को उपलब्ध कराने की तिथि से अधिकतम 10 दिनों तक रखी गई है।</p>
प्रमुखुआ	
	एजेंडा-(1) निश्चित अवधि के अंदर पेंशन भुगतान।
1.1	<p>निश्चित अवधि के अंदर पेंशन भुगतान के लिए सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारियों का सर्विस बुक समय से पूर्व संबंधित लेखा विभाग से विधीक्षण कराकर एवं अन्य कागजात मंगाकर उनका पूरा विवरण तैयार कर भुगतान हेतु लेखा विभाग को भेजा जाय, जिससे निश्चित अवधि के अंदर पेंशन का भुगतान हो सके।</p>
एजेंडा-(2) जाडे के मौसम में सुरक्षित परिचालन।	
2.1	<p>जाडे के दिनों में अक्सर कुहासों के कारण रेलगाड़िया विलंबित होती है, इससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही रेल परिचालन में कार्यरत् कर्मचारी निर्धारित समय-सीमा से अधिक कार्य में लगे रहने से काफी थक जाते हैं। इससे बड़ी लापरवाही होने की संभावना बढ़ जाती है, जो रेलवे के सुरक्षित परिचालन में सबसे बड़ी बाधा साबित हो रहा है। इसलिए आवश्यक है कि विभाग द्वारा नई तकनीकों का प्रयोग रेल परिचालन में लाया जाय, ताकि जाडे के मौसम में सुरक्षित परिचालन चलता रहे।</p>
एजेंडा-(3) मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के समय पालन में सुधार।	
3.1	<p>रेलगाड़ियों की बढ़ती संख्या के साथ रेल पटरियों का अतिरिक्त विस्तार भी नितांत आवश्यक है। मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों हेतु मालवाहक गाड़ियों से अलग रेल लाईन की व्यवस्था किये जाने से इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है।</p> <p>समय पालन में सुधार के लिए गाड़ियों की मॉनिटरिंग कर कौन गाड़ी किस सेवक्षण में कितनी देर करती है; उसका उचित कारण जानकर समाधान कराना जरूरी है। चेन पुलिंग या आपराधिक घटनाओं के कारण हो रही देरी में चिन्हित गाड़ियों में मार्गरक्षण कराया जाता है।</p>
प्रमुखाई	
	एजेंडा-(2) जाडे के मौसम में सुरक्षित परिचालन।
2.1	<p>जाडे के मौसम में कोचिंग ट्रेनों का सुरक्षित परिचालन हेतु रेलवे बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाता है। एसी एवं नॉन एसी कोचों की समुचित रख-रखाव जैसे क्षतिग्रस्त खिड़कियों एवं दरवाजों की मरम्मत, वाटर सिस्टम का सही रख-रखाव इत्यादि पर विशेष ध्यान दिया जाता है।</p> <p>जाडे के मौसम से पहले ही लोको के सुरक्षित परिचालन हेतु निर्देश जारी कर सभी मंडलों एवं शेडों को पत्र द्वारा सूचित कर दिया जाता है। शेडों एवं मंडलों को पत्र सं. ईसीआर/ मेक/डीजल/ 724 दि. 05. 10.18 के द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।</p>
एजेंडा-(3) मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के समय पालन में सुधार।	
3.1	<p>रख-रखाव की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु सुपरवाईजर एवं कर्मियों का प्रशिक्षण एवं कांउसिलिंग किया जाता है। स्पेशल ड्राईव/सरप्राईज चेक के द्वारा रख-रखाव की मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के समय पालन में सुधार के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों का समुचित गुणवत्ता में सुधार किया जाता है। आवश्यक सामानों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है।</p>

प्रमुखाप्र

एजेंडा-(1) निश्चित अवधि के अंदर पेंशन भुगतान।

1.1	<p>'सेवानिवृत्ति' किसी रेल कर्मचारी के कार्य काल का अंतिम पड़ाव होता है। इस तिथि के बाद उनके जीवन का लक्ष्य तथा उद्देश्य बदल जाता है, अतः उन लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति में पेंशन एक प्रमुख अंशदान होता है अतः इसका समय अवधि में भुगतान किया जाना पुरी रेल परिवार का जबावदेही होनी चाहिए। यह उनके प्रति सम्मान होगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संबंधित विभाग को ध्यान देना आवश्यक है।</p> <ol style="list-style-type: none"> कर्मचारी के कार्यकारी विभाग के संबंधितों को चाहिए कि कर्मचारी से संबंधित सभी संगत दस्तावेज कार्मिक विभाग को समयावधि में उपलब्ध कराए। कार्मिक विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि निश्चित समयावधि में कर्मचारी से संबंधित सभी संगत दस्तावेज को पूर्ण कर लेखा विभाग को भेजा जाए। लेखा विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि निश्चित समयावधि में बिल पास कर भुगतान को सुनिश्चित करें।
-----	---

एजेंडा-(2) जाड़े के मौसम में सुरक्षित परिचालन।

2.1	<p>रेलवे परिचालन को सुरक्षित—सुगम तथा सुनिश्चित करना ही रेल विभाग का उद्देश्य है लेकिन जाड़े के मौसम में इन लक्ष्यों को प्राप्त करना चुनौती पूर्ण रहता है। यद्यपि इससे निपटने के लिए कई योजनाओं तथा कार्य प्रणाली उन्नत की गयी है फिर भी लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न होती है। चुनौती को आसान करने में निम्नलिखित बातों का ध्यान देना आवश्यक है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> संबंधित विभाग को सभी संगत सामाग्रियों यथा—फॉग सिग्नल आदि की व्यवस्था समय अवधि के पूर्व ही किया जाना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि संबंधित विभाग द्वारा समयावधि में फॉग सिग्नल आदि का मांग पत्र भंडार विभाग को उपलब्ध नहीं कराया जाता है अतः इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए क्योंकि खरीदारी में निश्चित समय लगता है। ऐसे तो सभी रेल कर्मचारियों/अधिकारियों का कर्तव्य एवं उद्देश्य होता है कि रेल परिचालन सुरक्षित एवं सुगम रहे। लेकिन परिचालन—सिग्नल—इंजिनियरिंग विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों को ऐसे समय में अधिक सतर्क रहना चाहिए।
-----	---

एजेंडा-(3) मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के समय पालन में सुधार।

3.1	<p>रेल परिचालन में समय पालन का अधिक महत्व है। पूरी रेल व्यवस्था ही समय पर आधारित है। इस क्रम में मेल/एक्सप्रेस/यात्री गाड़ियों का समय पर परिचालन एक प्रमुख्य कार्य है। पूरा रेल नेटवर्क हमारे देशवासियों को परिवहन संबंधी सेवा प्रदान कर रहा है। इसलिए इसे भारत की जीवन रेखा भी कहा गया है। हमारा देश विविध संस्कृति—मौसम—भगौलिक स्थिति का धनी है अतः पूरे देश में रेल नेटवर्क को समय पर चलाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहता है। गाड़ियों के परिचालन में समय सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं।</p> <ul style="list-style-type: none"> आरंभ होने वाले स्टेशन में संबंधित गाड़ियों के रेक को समय पर फिट दिया जाए। तीव्र गति की गाड़ियां चलाई जाएं और उसके लिए रॉलिंग स्टॉक एवं रेल के ट्रैक को उपयुक्त बनाया जाए। सिग्नलिंग सिस्टम को आधुनिक बनाया जाय।
-----	--

प्रमुखाप्र

एजेंडा-(3) मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के समय पालन में सुधार।

3.1	<p>समय पालन सुनिश्चित करने में वाणिज्य विभाग निम्न विन्दुओं पर सचेष्ट रहता है।</p> <ul style="list-style-type: none"> पार्सल की उत्तराई/चढ़ाई को निर्धारित ठहराव के अंदर पूरा करना। आरक्षण चार्ट के निर्धारित प्रस्थान के समय से चार धंटे के भीतर स्वतः चार्टिंग हो जाना। सभी टिकट चेकिंग कर्मी (टीटीई) को ए.सी.पी. पर कड़ी निगाह रखना और आर.पी.एफ. से समन्वय बनाए रखना।
-----	---

मुसांधि

एजेंडा-(2) जाड़े के मौसम में सुरक्षित परिचालन।

2.1	<p>(क) जाड़े के मौसम में –</p> <p>(i) सभी गुड्स वार्निंग बोर्ड, सी/फा बोर्ड, लिफ्टिंग बैरियर आदि को ल्यूमिनस पीला/काला पेंट से पेंटिंग कराया जाना तथा जहां आवश्यक हो, ल्यूमिनस स्ट्रीप का प्रावधान किया जाना चाहिए ।</p> <p>(ii) पर्याप्त मात्रा में डेटोनेटर की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।</p> <p>(iii) स्टेशन मास्टर फॉग सिगनल मैन को समुचित काउंसलिंग कर फॉग सिगनल रजिस्टर में हस्ताक्षर प्राप्त करा लेना चाहिए ।</p> <p>(ख) पटाखा लगाने की विधि–</p> <p>(i) पहला स्टॉप सिगनल से 270 मीटर की दूरी पर पटाखा सिगनल लगाना चाहिए ।</p> <p>(ii) मल्टीपुल आस्पेक्ट सिगनलिंग व्यवस्था जहां एक ही डिस्टेंट सिगनल लगा है वहां पर होम सिगनल के निकट डेटोनेटर लगाया जाना चाहिए ।</p> <p>(iii) 'बी' क्लास स्टेशन जहां लोअर क्वाडरेंट सिगनलिंग व्यवस्था है वहां आउटर सिगनल के पास डेटोनेटर लगाना चाहिए ।</p> <p>(ग) इंजीनियरिंग विभाग द्वारा बरती जाने वाली सावधानियां</p> <p>(i) पेट्रोलिंग मैन की व्यवस्था की जानी चाहिए जो रेल फैक्चर को देखकर उचित कार्रवाई करें एवं संबंधित अधिकारी को सूचित करें ।</p> <p>(घ) लोको पायलट द्वारा बरती जाने वाली सावधानियां</p> <p>(i) कुहासे के मौसम में जहां दृश्यता बहुत कम हो वहां लोको पायलट द्वारा ट्रेन इतना गति से चलाई जानी चाहिए कि वह किसी भी बाधा पर अपनी गाड़ी को नियंत्रित कर रोक सके ।</p> <p>(ii) एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम टेरीटोरी में –ट्रेन की अधिकतम गतिसीमा 60 कि.मी./घंटा हो ।</p> <p>(iii) (अ) ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम टेरीटोरी में— ऑटोमेटिक स्टॉप सिगनल 'हरा' पास करने के बाद ट्रेन की अधिकतम गति 60 कि.मी./घंटा से ज्यादा नहीं होना चाहिए ।</p> <p>(ब) ऑटोमेटिक स्टॉप सिगनल 'डबल पीला' पास करने के बाद ट्रेन की गति 30 कि.मी./घंटा से ज्यादा नहीं होना चाहिए ।</p> <p>(स) ऑटोमेटिक सिगनल 'पीला' पास करने के बाद प्रतिबंधित गति से अगला स्टॉप सिगनल पर रुकने के लिए तैयार रहना चाहिए ।</p> <p>(iv) लोको पायलट द्वारा गेटमैन एवं सड़क उपयोगकर्ता को चेतावनी देने के लिए निर्धारित कोड में सीटी इंटरमिटेंटली बजाया जाना चाहिए ।</p> <p>(v) स्टेशन मास्टर के कर्तव्य –</p> <p>(क) सभी सिगनल दिन एवं रात में जलना सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।</p> <p>(ख) फ्रेश डेटोनेटर आपूर्ति किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।</p> <p>विशेष सावधानियां–</p> <p>(i) अप्रोचिंग ट्रेन के लिए लाइन विलयर देने के बाद नन आइसोलेटेड लाइन में शंटिंग नहीं किया जाना चाहिए ।</p> <p>(ii) यदि दृश्यता कम हो तो किसी ट्रेन के लिए लाइन विलयर देने के बाद शटिंग नहीं किया जाना चाहिए ।</p>
-----	---

प्रमुद्दं

एजेंडा-(2) जाड़े के मौसम में सुरक्षित परिचालन।

2.1	जाड़े के मौसम में सुरक्षित परिचालन हेतु इस कार्यालय द्वारा विस्तृत अनुदेश प्रति वर्ष जाड़े के शुरू होने से पहले जारी की जाती है। इस वर्ष भी अद्व्यशासकिय पत्र संख्या:- ECR/ENG/W-4/432/09/Winter Precaution/Pt.-1/915, दिनांक:16 / 09.10 / 11.2017 द्वारा सभी मंडलों को भेजागया है जिस पर मंडल द्वारा जाड़े में संरक्षित रेल परिचालन हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।
-----	---

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक /धनबाद

एजेंडा-(4) पूर्व मध्य रेल पर मंडलीय/अतिरिक्त मंडलीय अस्पतालों की कार्य-प्रणाली।

4.1	<ol style="list-style-type: none"> 1. स्मार्ट कार्ड पर आपातकाल में कैशलेस उपचार योजना। 2. ओपीडी कम्प्लैक्स में सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी के लिए अलग से विलनिक हो। 3. मंडल में दवाओं की सरकारी खरीद की सुविधा होनी चाहिए। 4. पाइप लाइन से ऑक्सीजन आपूर्ति की सुविधा सभी मंडलीय और उपमंडलीय अस्पतालों में हो। 5. आधारभूत संरचना के विकास एवं इनके अनुरक्षण के लिए अलग विधि हो। 6. स्वीकृत पदों के विरुद्ध संविदा चिकित्सकों को नियुक्त करने की सुविधा हो। 7. अस्पताल की साफ-सफाई ENHM शाखा को सौप दी जाय। 8. अस्पताल में प्राइवेट सुरक्षा का प्रावधान हो। 9. अस्पताल के लिए एक विशेषज्ञ कैडर का निर्माण एवं Non Functional SAG तथा विलनिकल कार्य कर रहे परामर्शदाताओं के लिए पी.जी.ए सुविधा पुनः बहाल की जानी चाहिए या उन्हें निजी प्रैक्टिस की अनुमति दिया जाय और राजस्व का रेलवे एवं चिकित्सक के बीच बंटवारा हो। 10. HIMS को प्राथमिकता के आधार पर स्थापित की जानी चाहिए। 11. मंडलीय अस्पताल में विभिन्न निविदा कार्य हेतु एक प्रशासक की पदस्थापना। 12. आयुष्मान भारत योजना उन सभी रेलवे अस्पतालों में प्रारंभ किया जाय जहां bed की उपयोगिता 60 प्रतिशत से कम है। 13. सी.एम.पी. की नियुक्ति के दौरान परिपत्र में यह लिखा जाता है कि केवल राज्य एवं केन्द्र सरकार से सेवानिवृत्त चिकित्सक ही आवेदन कर सकते हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि पी.एस.यू से सेवानिवृत्त सुयोग्य चिकित्सक इसके लिए क्यों आवेदन नहीं कर सकते। परिपत्र से इस शर्त का शीघ्र ही हटाया जाना चाहिए।
-----	--

पिछला प्रेम बैठक (दिनांक 11.09.2018) के कार्यवृत्त पर मदवार टिप्पणी :—

क्र.सं.	मद	विभागाध्यक्ष	अभियुक्ति
1.0	श्री एल.सी. त्रिवेदी, महाप्रबंधक, सह अध्यक्ष / प्रेम ग्रुप		
1.1	मुख्यालय के साथ—साथ पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलीय अस्पतालों में सीटी स्कैन एवं एमआरआई की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया तथा इन अस्पतालों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने पर बल दिया ।	प्रमुचिनि	पीपीपी मोड पर सीटी स्कैन/एमआरआई के स्थापना हेतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल चिकित्सालय में निविदा करने हेतु निविदा प्रपत्र तैयार किया जा रहा है। केंद्रीय चिकित्सालय एवं अन्य मंडलों हेतु किसी फर्म द्वारा पीपीपी मोड पर सीटी स्कैन/एमआरआई की स्थापना हेतु रुचि नहीं दिखाया गया है। आगे प्रयास जारी है। आवश्यकता अनुरूप प्राईवेट अनुबंधित संस्थानों में सीटी स्कैन एवं एमआरआई हेतु अधिकारी/कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को रेफर किया जाता है।
1.2	पूर्व मध्य रेल के सभी रेलकर्मी के परिवार को भी आधार से जोड़ा जाए। पूर्व मध्य रेल में ग्रुप सी कर्मचारियों की पदोन्नति को ध्यान में रखते हुए कई विभागों में ग्रुप बी का चयन किया गया है लेखा विभाग में ग्रुप बी के चयन हेतु प्रक्रिया शुरू करने को कहा तथा निर्माण संगठन के वर्क चार्ज पदों के विरुद्ध भी ग्रुप बी के चयन के लिए सलाह दिया ।	प्रविस प्रमुकाधि	ग्रुप सी कर्मचारियों की पदोन्नति को ध्यान में रखते हुए लेखा विभाग में ग्रुप बी अधिकारियों के चयन हेतु 70% एवं 30% परीक्षा का नोटिफिकेशन दिनांक 25.10.2018 को जारी किया जा चुका है। रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार रेलकर्मी एवं उनके परिवारों का आधार कार्ड बनवाने के लिए समय—समय पर विशेष कैंप का आयोजन किया जाता है। अधिकांश कर्मचारियों तथा उनके परिवार जनों को आधार से जोड़ लिया गया है एवं रेल कर्मियों का AADHAR No. IPAS में feed कर दिया गया है।
1.3	मुख्यालय स्तर पर पेंशन मेला का आयोजन कराया जाए जिसमें बैंककर्मी एवं रेल कर्मचारी तथा यूनियन शामिल हों। मेले में कर्मचारी की समस्या प्रकाश में आने पर इसके लिए एक कल्याण निरीक्षक को लगाया जाए। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को एक ऐसा बुकलेट प्रदान किया जाए। जिसमें विभिन्न योजनाओं	प्रमुकाधि	मुख्यालय स्तर पर पेंशन अदालत का आयोजन प्रतिवर्ष की भाँति इस वर्ष भी दिनांक 18.09.18 को आयोजित किया गया है।

	की जानकारी एवं इसके लाभ अंकित हों। आरएसपी योजना में सभी रेलकर्मियों को शामिल किया जाए।		
1.4	बढ़ते अपराधों के मद्देनजर असामाजिक तत्वों के साथ कड़ाई से पेश आए तथा उन्हें पकड़ा जाए।	प्रमुसुआ	पूर्व मध्य रेल में अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु सभी मंडलों को निर्देशित किया गया है। अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों पर रेल परिसर एवं रेल गाड़ियों में निगरानी हेतु टास्क टीम का गठन किया गया है, जो कड़ी निगरानी रखते हुए अपराधियों पर कड़ाई से कार्रवाई की जाती है।
1.5	निविदा जारी करते समय ठेके के मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना को इसमें शामिल किया जाए।	सभी प्रविभागाध्यक्ष	अनुपालन हेतु नोट किया गया। — प्रमुसिदूइं नोट किया गया। — प्रमुविइं नोट किया गया। — मुसंधि सभी मंडलों एवं शेडों को निर्देश दिए गए हैं। — प्रमुयाइं प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत यह प्रयास है कि समाज के सभी वर्गों को इसका लाभ पहुँचाया जाए। इसी क्रम में रेलवे के द्वारा जारी की गई वर्क्स/भंडार निविदा के टर्म एंड कंन्डीशन में इस तथ्य को शामिल की जानी चाहिए ताकि संविदा कर्ता द्वारा नियुक्त ठेके के मजदूरों को इसका लाभ सुनिश्चित हो सके तथा रेलवे के प्रतिनिधि द्वारा इसके कार्यान्वयन पर ध्यान देना चाहिए। — प्रमुसाप्र नोट किया गया। — प्रविस निविदा की अधिसूचना जारी करते समय अद्यतन नीति के अनुसार रेलवे बोर्ड के निर्देश के अनुरूप ठेके की आवंटन हेतु कार्रवाई की जाती है। — प्रमुवाप्र चिकित्सा विभाग में अनुपालन किये जाने हेतु केन्द्रीय चिकित्सालय एवं मंडलों को सूचना प्रेषित किया जायेगा। — प्रमुचिनि नोट किया गया। — मुप्रधि/नि./उ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं सुरक्षा बीमा योजना पर दिनांक 27. 08.18 को एक सेमिनार का आयोजन

				किया गया, जिसमें उक्त योजनाओं से होने वाले लाभ के संबंध में सेमिनार में उपस्थित मुख्यालय सहित सभी मंडलों के लगभग 350 कर्मचारियों को बैंकों के अधिकारियों द्वारा विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी। निविदा जारी करके किसी कार्य को किये जाने, जिनमें मैनपावर की संलिप्तता होती है; कार्मिक विभाग द्वारा नहीं किया जाता है।— प्रमुकाधि नोट किया गया।— प्रमुझँ
1.6	ओपन हर्ट सर्जरी के समय खून की आश्यकता को देखते हुए केंद्रीय सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में ब्लड डोनेशन कमिटी बनाई जाए जिसमें यूनियन, प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग के सदस्य नामित हों तथा ब्लड डोनर की सूची भी बनाई जाए।	प्रमुचिनि		सुझाव को अमल में लाया जायेगा।
1.7	सोशल मीडिया के प्रयोग की चर्चा करते हुए कहा कि आज के युवा फेसबुक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम का अधिक प्रयोग करते हैं तथा मुद्दों पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। अतः यह प्रयास किया जाना चाहिए कि पूर्व मध्य रेल के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी सोशल मीडिया के फॉलोअर बनें।	सभी प्रविभागाध्यक्ष		अनुपालन हेतु नोट किया गया।— प्रमुसिदूङ्घँ नोट किया गया।— प्रमुविझँ नोट किया गया।— मुसंधि मुख्यालय, मंडलों एवं शेडों के यांत्रिक विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे स्वयं एवं अधीनस्थ कर्मचारी सोशल मीडिया का अधिक से अधिक प्रयोग करें।— प्रमुयाङ्घँ इस तथ्य से नकारा नहीं जा सकता, इसे उपयोग में लाने हेतु कर्मचारियों/अधिकारियों को जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि वे सर्विस कंडक्ट रूल एवं अभिव्यक्ति के परीसीमन के हद में सोशल मिडिया के फॉलोवर बने तथा मुद्दों को आसानी से सुलझाने का प्रयास करें।— प्रमुसाप्र इस दिशा में पूर्व मध्य रेल से जुड़ी सभी लेखा कार्यालयों को पत्र द्वारा अवगत करा दिया गया है।— प्रविस रेलवे के विकास से सम्बंधित सभी अद्यतन जानकारी दैनिक समाचार, ट्वीटर एवं फेश

			<p>बुक के माध्यम से यात्रियों एवं कर्मचारियों को अवगत कराया जाता है। इसके अलावे पी.एन.एम. की बैठक में भी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। व्हाट्सएप ग्रुप बना कर मुख्यालय/मंडल के अधिकारी/ कर्मचारियों द्वारा किसी विषय पर की जाने वाली कार्रवाईयों की अद्यतन स्थिति पोस्ट कर मॉनिटरिंग की जाती है।—प्रमुवाप्र अनुपालन किया जा रहा है।—प्रमुचिनि वाट्सएप द्वारासभी सूचनाओं को आदान—प्रदान आवश्यक पत्राचार एवं दिशा निर्देश पुरी तरह से प्रयोग किया जा रहा है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों की समस्या एवं शंकाओं का निवारण भी तुरंत हो रहा है। इसमें समय की बचत एवं तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।—मुप्रधि/नि./उ सोशल मीडियाका उपयोगकरते समय सर्विस कन्डकट रूल आड़े आता है, इसलिए ये कार्य प्रशासन के पब्लिसिटी विभाग द्वारा किया जाता है।—प्रमुपरिप्र सोशल मीडिया के उपयोग का व्यापक प्रचार प्रसार एवं उसके लिए प्राप्त निर्देश का अनुपालन करने हेतु इस कार्यालय द्वारा सभी विभागों/मंडलों को निर्देश जारी किया गया है। इस संबंध में दिनांक 27.08.18 को सोशल मीडिया पर एक सेमिनार आयोजित किया गया था, जिसमें मंडलों/यूनिटों/मुख्यालय के लगभग 60 कर्मचारी उपस्थित हुए थे।—प्रमुकाधि नोट किया गया।—प्रमुइं</p>
1.8	सोशल मीडिया के प्रयोग के लाभ की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हाल ही में रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रतियोगियों के विभिन्न स्टेशनों के लिए कम समय में गाड़ियों का परिचालन किया गया। इसकी जानकारी के लिए सोशल मीडिया का	मुजसंधि प्रमुपरिप्र	<p>परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु कई परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं। इसकी सूचना परीक्षार्थियों तक पहुंच सके इसके लिए प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ—साथ सोशल मीडिया द्वारा इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। नोट किया गया। इसका ध्यान रखा जाता है।</p>

	प्रयोग किया जाय। परिणामतः प्रतियोगियों के बीच इसकी सूचना सुगमता से पहुंचाई जा सकी।		
1.9	रेलवे के विकास संबंधी जानकारी सभी रेलकर्मियों एवं यूनियन को उपलब्ध कराई जाए जिससे वे प्रचारक बन सकें।	सभी प्रविभागाध्यक्ष	<p>अनुपालन हेतु नोट किया गया।—प्रमुसिदूइं</p> <p>नोट किया गया।—प्रमुविइं</p> <p>नोट किया गया।—मुसंधि</p> <p>इसके लिए सभी मंडलों एवं शेडों को निर्देश दिया गया है।—प्रमुयाइंई</p> <p>रेलवे अपनी श्रम शक्ति की धनी हैं लगभग 16 लाख कर्मचारी दिन—रात कर्य करते हुए रेलवे की विकास गाथा लिख रहे हैं इन विकास योजनाओं का समुचित प्रचार—प्रसार रेल कर्मियों एवं युनियन के माध्यम से कराया जा सकता है। वे इसमें अपना स्वाभिमान महसूस करेंगे तथा तथ्यों को सही अर्थों में लोगों के पास रख सकेंगे।—प्रमुसाप्र नोट किया गया।—प्रविस</p> <p>जन संपर्क विभाग द्वारा रेलवे और पूर्व मध्य रेल के विकास संबंधी क्रिया—कलापों का विवरण संकलन कर अधिकारियों/कर्मचारियों के मोबाईल फ़ोन पर मैसेज/ व्हाट्सएप द्वारा तत्काल प्रसारित कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि सतर्कता विभाग द्वारा पारदर्शी कार्यशैली का संदेश नियमित रूप से दिया जाता है।—प्रमुवाप्र संबंधित परिक्षेत्र की जानकारी के प्रचार प्रसार हेतु मुख्य जनसंपर्क अधिकारी एवं युनियन को सूचना प्रेषित किया जाता है।—प्रमुचिनि</p> <p>अनुपालन किया जा रहा है।—मुप्रधि/नि./उ</p> <p>रेलवे के विकास की जानकारी सभी को पब्लिसिटी विभाग द्वारा दिया जाता है।—प्रमुपरिप्र</p> <p>नोट कियागया।—प्रमुकाधि</p> <p>नोट किया गया।—प्रमुइं</p>
2.0	श्री विश्व मोहन सिंह , अध्यक्ष / ईसीआरकेयू		
2.1	रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ वृक्षारोपण कराया जाए तथा	प्रमुइं	“हर परिसर हरा परिसर” योजना के अन्तर्गत सभी उपयूक्त जगहों पर

	इसकी संरक्षण की जिम्मेदारी भी सुनिश्चत की जाए तथा इसे हरित क्रांति के रूप में लिया जाए । ट्रैक के दोनों तरफ वृक्षारोपण की संख्या निर्धारित करते हुए इसकी समय—समय पर रिपोर्ट ली जाए ।	प्रमुयांई	वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। वृक्षारोपण से संबंधित कार्य इंजीनियरिंग विभाग द्वारा निष्पादित कराया जाता है। रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार, पर्यावरण एवं गृह रख—रखाव विभाग द्वारा राज्य सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर ट्रैक के किनारे खाली पड़े रेलवे भूमि पर वृक्षारोपण हेतु प्रयास किया जा रहा है।
2.2	वृक्षारोपण में अच्छे कार्य हेतु पुरस्कार के लिए रेल सप्ताह पुरस्कार में शामिल किया जाए ।	सभी प्रविभागाध्यक्ष	अनुपालन हेतु नोट किया गया —प्रमुसिदूङ् नोट किया गया — प्रमुविझं नोट किया गया — मुसंधि नोट किया गया —प्रमुयांई पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने तथा संतुलन के लिए वृक्षारोपण अतिमहत्वपूर्ण है इसके लिए कर्मचारियों/अधिकारियों के मध्य चेतना लाने की आवश्यकता है। अतः रेलवे की जो ईकाई, अधिकारी/कर्मचारीरागण इस दिशा में कार्य करते हैं उनकी सराहना करते हुए पुरस्कृत भी किया जाना चाहिए —प्रमुसाप्र नोट किया गया —प्रविस वृक्षारोपण कार्य इंजीनियरिंग विभाग एवं ENHM द्वारा सुनिश्चित कराई जाती है —प्रमुवाप्र चिकित्सा विभाग से संबंधित नहीं है —प्रमुचिनि नोट किया गया —मुप्रधि/नि./उ नोट किया गया — प्रमुपरिप्र रेल सप्ताह पुरस्कार हेतु निर्धारित नीति का अनुसरण किया जाता है। प्रत्येक विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए नामित करते हैं, जिसके आधार पर रेल सप्ताह पुरस्कार का वितरण किया जाता है। —प्रमुकाधि नोट किया गया —प्रमुझं
2.3	स्वच्छता के लिए अंदरूनी एवं बाहरी दोनों ही कारकों पर ध्यान देना चाहिए तथा गंदगी फैलाने	सभी प्रविभागाध्यक्ष	अनुपालन हेतु नोट किया गया —प्रमुसिदूङ् नोट किया गया — प्रमुविझं

की क्रियाओं की निंदा की जानी चाहिए ।	<p>नोट किया गया । — मुसंधि गंदगी के अंदरूनी एवं बाहरी दोनों कारकों के समूल समाप्ति हेतु एवं स्वच्छता को समग्र रूप से अपनानेहेतु रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार समय—समय पर स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है । सरकारी—गैर सरकारी संगठनों, स्कूली बच्चों, स्काउट एवं गाइड तथा निजी संस्थाओं की मदद से स्वच्छता को जन—जन तक पहुँचाया जा रहा है । पर्यावरण विभाग द्वारा व्यावसायिक विभाग एवं लेखा—विभाग के साथ मिलकर एक जेपीओ तैयार किया गया है, जिसमें गंदगी फैलाने की क्रियाओं हेतु आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है ।—प्रमुखाई स्वच्छता के मानक को प्राप्त करने के लिए सभी रेल कर्मियों को दृढ़ संकल्प के साथ जन जागरण करते हुए कार्य करना होगा तथा रेलवे परिसर में गंदगी फैलाने वाले कारकों की निंदा करते हुए दंडित करने का प्रावधान भी करना चाहिए ।—प्रमुखाप्र समय—समय पर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाती है ।—प्रविस राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन के तहत सभी स्टेशनों पर सफाई अभियान चलाते हुए स्टेशन की साफ़-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । महत्वपूर्ण स्टेशनों पर पोस्टर, बैनर एवं जन संबोधन प्रणाली के माध्यम से यात्रियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है एवं गंदगीफैलाते हुए पकड़े जाने पर आर्थिक दंड भी लगाया जाता है ।—प्रमुखाप्र गंदगी फैलाने वाले की निंदा की जाती है तथा स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया जाता है ।—प्रमुखिनि अनुपालन किया जा रहा है ।—मुप्रधि/नि./उ नोट किया गया । — प्रमुपरिप्र नोट किया जाता है । समय समय पर स्वच्छता संबंधी कार्यक्रमों को आयोजन किया जाता है । रेलवे बोर्ड के </p>
--------------------------------------	---

			guidelines के अनुसार swachh bharat अभियान समय—समय पर चलाया जाता है।—प्रमुकाधि स्वच्छता के लिए जागरूकता हेतु वाणिज्य विभाग द्वारा स्टेशनों पर बैनर लगाये गए हैं।—प्रमुङ
2.4	घर के कचड़े हेतु गीला एवं सुखा कचड़ा के लिए अलग—अलग कुड़ेदान का उपयोग करना सुनिश्चित करें।	प्रमुचिनि प्रमुवाप्र	अनुपालन किया जाता है। गीला एवं सुखा कचरा के लिए अलग—अलग कूड़ादान का उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। इस संबंधमें सभी मंडलों को आवश्यक निर्देश दिया गया है।
2.5	सामान खरीदने हेतु पॉलीथीन का प्रयोग नहीं किया जाए।	सभी प्रविभागाध्यक्ष	अनुपालन हेतु नोट किया गया।—प्रमुसिदूङ नोट किया गया।—प्रमुविङ नोट किया गया।—मुसंधि यह प्रयावरण की संरक्षण की दिशा में सराहनीय कदम है। राज्य सरकार भी इस दिशा में दिशा निर्देश जारी किए हैं हमें कर्मचारियों/अधिकारियों को इस संबंध में जागरूक करना है तथा राज्य सरकार के प्रयासों तथा पर्यावरण संरक्षण के पहल को सफल बनाया जा सके।—प्रमुसाप्र नोट किया गया।—प्रविस इसके लिए यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है। पॉलीथीन के उपयोग पर क्रमिक ढंग से प्रतिबंध के लिए योजना पर भी विचार हो रहा है।—प्रमुवाप्र सुझाव सराहनीय एवं अमल योग्य है।—प्रमुचिनि अनुपालन किया जा रहा है।—मुप्रधि/नि./उ नोट किया गया।—प्रमुपरिप्र नोट कियागया।—प्रमुकाधि सभी कर्मचारियों के इसके लिए जागरूक किया जा रहा है।—प्रमुङ
2.6	घर के चारों ओर वृक्षारोपण सुनिश्चित की जाए।	प्रमुङ प्रमुचिनि	समय—समय पर सभी स्टेशन के कर्वाटरों के चारों ओर खाली स्थान पर वृक्षारोपण कराया जाता है। अनुपालन किया जा रहा है।
2.7	घर के कचड़ों को उचित स्थान पर ही डाला जाना सुनिश्चित की	प्रमुचिनि	घर के कचरों के उचित स्थान पर डाला जाता है।

	जाए ।	प्रमुवाप्र	सुनिश्चित किया जा रहा है ।
2.8	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को पूर्व मध्य रेल के सभी रेलकर्मियों को आधार की तरह जोड़ा जाए । इस संबंध में रेलकर्मी के वेतन निकासी बैंकों को निर्देश दिया जाना चाहिए ।	प्रविस प्रमुकाधि	नोट किया गया । यह एक स्वैच्छिक योजना है। इसे प्रचार प्रसार के द्वारा ही प्रसारित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं सुरक्षा बीमा योजना पर दिनांक 27.08.18 को एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें उक्त योजनाओं से होने वाले लाभ के संबंध में सेमिनार में उपस्थित मुख्यालय सहित सभी मंडलों के लगभग 350 कर्मचारियों को बैंकों के अधिकारियों द्वारा विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी ।
2.9	कठिन परिस्थिति एवं परिवेश में कर्मचारी का विवरण, कर्मचारी की छुट्टी सोशल मीडिया के माध्यम से दी जा सकती है ।	सभी प्रविभागाध्यक्ष	अनुपालन हेतु नोट किया गया ।— प्रमुसिदूङ्ङ नोट किया गया । — प्रमुविझं नोट किया गया । — मुसंधि सभी मंडलों एवं शेडों को दिशा निर्देश दिया गया है ।— प्रमुयार्द्द कठिन परिस्थिति परिवेश में कार्यरत रेल कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए समय का बड़ा महत्व है अतः सोशल मीडिया का इस दिशा में प्रयोग एक निश्चित दायरे में एक महत्वपूर्ण कदम होगा ।— प्रमुसाप्र नोट किया गया । — प्रविस पूर्व से ही यहचलन में है ।— प्रमुचिनि इस संबंध प्रयास जारी है । —मुप्रधि/नि./उ कार्मिक विभाग द्वारा जारी सभी अवकाशों से संबंधित पत्रों को पूमरे के अधिकृत वेबसाईट पर अपलोड किया जाता है। सोशल मीडिया हेतु जनसंपर्क अधिकारी अधिकृत हैं ।— प्रमुपरिप्र
3.0	श्री एस.एन.पी.श्रीवास्तव, महासचिव / ईसीआरकेयू		
3.1	किउल—गया रेल खंड का विद्युतीकरण होने से यात्रियों को सुविधा होगी एवं माल लदान से भी राजस्व की प्राप्ति होगी ।	प्रमुविझं प्रमुवाप्र	नोट किया गया । इस पर विधुत विभाग और आर.ई.संगठन से टिप्पणी ली जा सकती है ।— प्रमुवाप्र
3.2	रेल कर्मचारी दुर्गम स्थानों एवं कठिनतम परिस्थितयों में 24 घंटे कार्यरत रहते हैं । इनके	सभी प्रविभागाध्यक्ष	अनुपालन हेतु नोट किया गया ।— प्रमुसिदूङ्ङ नोट किया गया । — प्रमुविझं

	क्रियाकलापों का सोशल मीडिया पर चर्चा होनी चाहिए ।		नोट किया गया । – मुसंधि रेलवे का क्रिया-कलाप रेलवे की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा होता है जो रेल परिचालन को प्रभावित करता है अतः इन क्रिया कलापों का सुरक्षा की दृष्टि से सोशल मीडिया पर चर्चा करना हितकर नहीं है ।— प्रमुखाप्र जन संपर्क विभाग द्वारा इस पर समुचित कार्रवाई की जा सकती है ।— प्रमुवाप्र चिकित्सा विभाग से संबंधित नहीं है ।— प्रमुचिनि नोट किया गया । — मुप्रधि/नि./उ नोट किया गया । — प्रमुपरिप्र नोट कियागया ।— प्रमुकाधि दुर्गम स्थान को चिन्हित हेतु सर्वे किया जा रहा है । — प्रमुइं
3.3	ट्रैक के किनारे खाली पड़ी जमीन को वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को पट्टे पर दी जानी चाहिए तथा पट्टे पर देते समय वृक्षों की संरक्षण की जिम्मेदारी भी देनी चाहिए ।	प्रमुइं	ट्रैक के किनारे खाली पड़ी जमीन को वृक्षारोपण हेतु वन विभाग से पत्राचार किया जा रहा है एवं विभागीय स्तर पर भी वृक्षारोपण कार्य किया जा रहा है ।
3.4	सभी रेलवे कॉलोनी में वृक्ष लगाये गए हैं इस प्रवृत्ति को और विकसित करने की जरूरत है ।	प्रमुइं	सभी रेलवे कॉलोनी में वृक्ष लगाने हेतु प्रत्येक वर्ष लक्ष्य रखा जाता है तथा कर्मचारियों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है ।
3.5	बिहार के मुंगेर जिले के धरहरा ग्राम में ऐसा चलन है कि बेटी की जन्म पर एक वृक्ष लगाते हैं एवं उसकी शादी के समय वृक्ष उपहार स्वरूप दिया जाता है । इस चलन को पूरे देश में प्रचार करने की आवश्यकता है ।	मुजसंधि प्रमुकाधि	संबंधित विभाग से प्रचार सामग्री आने पर अनुपालन किया जाएगा । इसे सोशल मीडिया के माध्यमों से जनसंपर्क अधिकारी द्वारा प्रचार प्रसार करना समुचित होगा ।
3.6	मध्य रेलवे की तर्ज पर सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर कला के विभिन्न विधाओं के माध्यम से प्रदर्शन किया जाना चाहिए ।	प्रमुसुआ	अनुपालन हेतु नोट किया गया है । सुरक्षा से जुड़े सभी मामलों की जानकारी एवं जागरूकता के लिए कला के विभिन्न माध्यमों यथा, पोस्टर, पम्पलेट, उद्घोशणा एवं बैनरों के साथ जागरूकता अभियान एवं प्रदर्शन की कार्रवाई वर्तमान में अमल में लाई जा

				रही है ।
3.7	सभी रेलकर्मियों से शपथ पत्र लिया जाना चाहिए कि ओपेन हर्ट सर्जरी के लिए खून की कमी नहीं होने दिया जाएगा ।	प्रमुचिनि प्रमुकाधि		सभी विभागाध्यक्ष को अपने अधिनस्थ कर्मचारियों से इस प्रकार का शपथ पत्र लेना चाहिए । यह चिकित्सा विभाग से संबंधित है ।
4.0	श्री डी.के.पाण्डेय, अपर महासचिव, ईसीआरकेयू			
4.1	05 जून को पर्यावरण दिवस पर सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण वृक्ष लगाकर उसका सेल्फी लें तथा उसे सोशल मीडिया पर शेयर करें इसी तरह एक वर्ष बाद ठीक इसकी पुनरावृत्ति करें कि यह वृक्ष कितना बढ़ा एवं सुरक्षित है ।	सभी प्रविभागाध्यक्ष		अनुपालन हेतु नोट किया गया ।—प्रमुसिदूङ्ग नोट किया गया । — प्रमुविङ्ग नोट किया गया । — मुसंधि नोट किया जाता है । मंडलों को दीर्घकालिक वृक्षारोपण हेतु भूमि अपेक्षित है । वन विभाग की सहमति ली जा चुकी है ।—प्रमुयांई यह उपाय सराहनीय है इससे कर्मचारियों/अधिकारियों में देश के प्रति कर्तव्य परायणता तथा पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा होगी । इस दिशा में अच्छे कार्य के लिए कर्मचारियों/अधिकारियों को सम्मानित भी की जानी चाहिए ।—प्रमुसाप्र नोट किया गया । —प्रविस इस अभियान में सभी विभाग की एकजुटता स्वागत योग्य है । इंजीनियरिंग और जनसंपर्क विभाग को संयुक्त रूप से पहल करनी होगी ।—प्रमुवाप्र सुझाव सराहनीय है ।—प्रमुचिनि इस संबंध में अनुपालन हेतु कार्वाई किया जाएगा । —मुप्रधि/नि./उ नोट किया गया । ये कार्य प्रशासन के पब्लिसिटी विभाग द्वारा किया जाता है ।—प्रमुपरिप्र वृक्षारोपण संबंधी कार्य इंजीनियरिंग विभाग द्वारा संपादित किया जाता है ।—प्रमुकाधि पर्यावरण पर रेलवे विभाग द्वारा समय-समय पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । इस क्रम में 5 जून को सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा वृक्षारोपण किया गया है ।—प्रमुइं
4.2	स्वच्छता को और सुदृढ़ किया	सभी		अनुपालन हेतु नोट किया

जाना चाहिए ।	प्रविभागाध्यक्ष	<p>गया ।—प्रमुसिदूइं नोट किया गया । — प्रमुविइं नोट किया गया । — मुसंधि</p> <ul style="list-style-type: none"> ● विगत तीन स्वच्छता पखवाडों के दौरान विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें पोस्टर, बैनर, पम्पलेट्स, स्टिकर के साथ—साथ रेडियो एवं लोकल टीवी चैनलों एवं समाचार पत्रों में स्वच्छता जागरूकता संदेश का प्रचार—प्रसार बृहद्! स्तर पर किया गया है। पूमरे के मोबाइलो पर रेलवे स्टेशन एवं ट्रेन में स्वच्छता बनाए रखने के प्रति संदेश प्रसारित किया गया। ● रेलवे स्टेशन परिसर की स्वच्छता सुधार हेतु कई गैर—सरकारी संगठन समय—समय पर भागीदारी निभा रहे हैं। ● रेलवे अधिकारियों के कोर ग्रुप द्वारा रेलवे परिसर एवं ट्रेन परिचालन में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी की गई एवं यात्रियों द्वारा स्वच्छता संपुष्टि ली गई तथा स्वच्छता सुधार हेतु स्टेशन एवं ट्रेन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ● गंदगी फैलाने वाले रेल यात्रियों पर जुर्माना की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। ● बॉयो—टॉयलेट कट मॉडल का प्रदर्शन विशेष स्टेशनों पर किया गया है। ● सफाई से संबंधित पूमरे के सभी स्टेशनों पर कूड़ेदान की भी पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। <p>कोच मित्र एवं कलीन माई कोच एप द्वारा रेलगाड़ी परिचालन के दौरान पाई गई गंदगी का तीव्रतम् निष्पादन ओबीएचएस कर्मचारी द्वारा किया जा रहा है। —प्रमुयांइं</p> <p>स्वच्छता के प्रति मन को सुदृढ़ कर ही कर्मचारी/अधिकारी गण इस दिशा में दृढ़ता से कार्य कर सकते हैं।—प्रमुसाप्र नोट कित्या गया। —प्रविस</p>
--------------	-----------------	--

			<p>● राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन के तहत सभी स्टेशनों पर सफाई अभियान चलाते हुए स्टेशन की साफ—सफाई पर विशेष ध्या दिया जा रहा है। महत्त्वपूर्ण स्टेशनों पर पोस्टर बैनर जन संबोधन प्रणाली के माध्यम से यात्रियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। एवं गंदगी फैलाते हुए पकड़े जाने पर आर्थिक दंड भी लगाया जाता है। गीला एवं सूखा कचड़ा के लिए अलग—अलग कूड़ादान का उपयोग किया जा रहा है। इसके लिए यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है। पॉलिथीन के उपयोग पर क्रमिक ढंग से प्रतिबंध के लिए योजना पर विचार हो रहा है।—प्रमुवाप्र</p> <p>चिकित्सा विभाग से संबंधित नहीं है।—प्रमुचिनि</p> <p>नोट किया गया।—प्रमुधि/नि./उ</p> <p>नोट किया गया। परिचालन विभाग में इसका ध्यान रखा जाता है।—प्रमुपरिप्र</p> <p>नोट कियागया।—प्रमुकाधि</p> <p>स्वच्छता को अभियंत्रण विभाग एवं चिकित्सा विभाग द्वारा मिलकर चलाया जाता है और स्वच्छता को सुदृढ़ बनाने हेतु सतत प्रयास जारी है।—प्रमुइं</p>
4.3	रेलवे की परिसंपत्तियों का उचित अनुरक्षण करने से भी स्वच्छता आएगी।	सभी प्रविभागाध्यक्ष	<p>अनुपालन हेतु नोट किया गया।—प्रमुसिदूइं</p> <p>नोट किया गया।—प्रमुविइं</p> <p>नोट किया गया।—प्रमुसंधि</p> <p>रेलवे कीक्रिया—कलापों से कई प्रकार की रद्दी माल का निष्कर्षण होता है/तथा उपयोग में लाये जाने वाले सामान जो कि यत्र—तत्र पड़े रहने के कारण गंदगी को प्रश्रय देती है अतः इसका अनुरक्षण/निष्पादन के लिए संबंधित कर्मचारी/अधिकारी को उचित दिशा निर्देश दी जानी चाहिए।—प्रमुसाप्र</p> <p>नोट किया गया।—प्रविस</p> <p>नोट कियागया।—प्रमुवाप्र</p> <p>चिकित्सा विभाग में रेलवे की परिसंपत्तियों का उचित अनुरक्षण किया जाता है।—प्रमुचिनि</p>

			इस संबंधमें प्रयास जारी है।—मुप्रधि/नि./उ नोट किया गया। इसका ध्यान रखा जाता है। — प्रमुपरिप्र नोट कियागया।—प्रमुकाधि नोट कियागया।—प्रमुझ
4.4	प्रधानमंत्री बीमा योजना का सभी रेलकर्मी तथा इनके आश्रित सदस्य बनें।	प्रमुकाधि	प्रधानमंत्री बीमा योजना के प्रचार-प्रसार के लिए वैशाली रेल प्रेक्षागृह में दिनांक 27.08.18 को सेमिनार आयोजित की गयी है। इस कार्यालय के पत्र सं0 ईसीआर/आरआरडब्ल्यू/ पीएमएस –पीएमजेजेबीबाई /2018 दिनांक 03. 09.2018 द्वारा सभी मंडलों एवं यूनिटों को भी इस संबंध में अपेक्षित दिशा निर्देश जारी किया गया है।
5.0	श्री एस.एस.डी.मिश्रा, सहायक महासचिव/ईसीआरकेयू		
5.1	रेलवे की खाली पड़ी जमीन पर वृक्षारोपण कर उसका संरक्षण सुनिश्चित किया जाए।	प्रमुझ	रेलवे की खाली पड़ी जमीन का सर्व करा इस पर वृक्षारोपण हेतु वन विभाग से प्रत्राचार किया जा रहा है।
5.2	प्रधानमंत्री बीमा योजना एवं रेलवे सैलरी पैकेज का रेलकर्मियों के बीच प्रचार प्रसार किया जाए।	मुजसंधि	अनुपालन किया जा रहा है। इस विषय पर पिछले दिनों मुख्यालय/हाजीपुर में एक सेमिनार का भी आयोजन किया गया।
5.3	सोशल मीडिया का उपयोग करते समय सर्विस कंडक्ट रूल का ध्यान रखा जाना चाहिए।	सभी प्रविभागाध्यक्ष	अनुपालन हेतु नोट किया गया।—प्रमुसिदूँझ नोट किया गया। — प्रमुविझ नोट किया गया। — मुसंधि नोट किया गया। —प्रमुयांझ सर्विस कंडक्ट नियम कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए परिसीमन है अतः इसे अभिव्यक्ति की आजादी के परिक्षेत्र में नहीं लाया जाना चाहिए अतः सोशल मीडिया का प्रयोग करते समय इसका ध्यान रखा जाना चाहिए।—प्रमुसाप्र नोट किया गया। —प्रविस सर्विस कंडक्ट रूल का ध्यान रखा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा फेसबुक/व्हाट्सएप पर कोई भी विवादास्पद/राजनीतिक सन्देश ना डाले जाय और न ही शेयर किये जाए।—प्रमुवाप्र नोट किया गया। —मुप्रधि/नि./उ

				नोट किया गया। सोशल मीडियाका उपयोग करते समय सर्विस कंडक्ट रूल आड़े आता है, इसलिए ये कार्य प्रशासन के पब्लिसिटी विभाग द्वारा किया जाता है। —प्रमुपरिप्र नोट कियागया।—प्रमुकाधि नोट किया गया।—प्रमुइं
6.0	श्री महेन्द्र कुमार, जोनल अध्यक्ष/एससी एवं एसटी एशो०			
6.1	रेलवे की खाली पड़ी जमीन पर सुनियोजित तरीके से वृक्षारोपण किया जाए इससे भूमि आकर्षक होगी और पर्यटन एवं आय का साधन बन सकेगा ।	प्रमुइं प्रमुवाप्र	रेलवे की खाली पड़ी जमीन का सर्वे करा सुनियोजित तरीके से वृक्षारोपण करने हेतु वन विभाग से सुक्षाव लिय जाएगा और कार्यान्वित किया जायेगा । वृक्षारोपण का कार्य इंजीनियरिंग विभाग एवं ENHM द्वारा सुनिश्चित कराई जाती है। —प्रमुवाप्र	
6.2	स्टेशन, प्लेटफार्म एवं रेलवे कॉलनी में स्वच्छता पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है । नियमित रूप से कुड़े का निस्तारण कराया जाए और गीला एवं सुखा कचड़े के लिए अलग-अलग डस्टबीन दिया जाए ।	प्रमुचिनि प्रमुवाप्र	रेलवे कॉलोनियों में स्वच्छता पर ध्यान दिया जाता है। रेलवे कॉलोनियों में डस्टबीन की उपलब्धता चिकित्सा विभाग से संबंधित नहीं है। दिए गए निर्देश का अनुपालन करते हुए गीला कचरा एवं सूखा कचरा के लिए अलग-अलग नीले और हरे रंग के कूड़ादान का उपयोग किया जा रहा है।	
6.3	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति एवं सुरक्षा बीमा योजना को रेलवे में ठेकेदारी के माध्यम से कार्य करने वाले कर्मी को इस बीमा के दायरे में लाना सुनिश्चित किया जाए ।	सभी प्रविभागाध्यक्ष	अनुपालन हेतु नोट किया गया।—प्रमुसिद्धइं नोट किया गया।—प्रमुविइं नोट किया गया।—प्रमुविइं नोट किया गया।—मुसांधि सभी मंडलों एवं शेडों को दिशा निर्देश दी गई है।—प्रमुयांई इस दिशा में इस तथ्य को रलवे के वर्क्स/भंडार निविदा के टर्म एवं कंडीशन में सामिल किया जाना चाहिए ताकि निविदाकार संविदा पर कार्य करने वाले अधीनस्थ कर्मचारियों को इस योजना का लाभ दे सके।—प्रमुसाप्र नोट किया गया।—प्रविस निविदा की अधिसूचना जारी करते समय अद्यतन नीति के अनुसार रेलवे बोर्ड के निर्देश के अनुरूप ठेके अंकों आवंटन हेतु कार्रवाई की जाती है।—प्रमुवाप्र	

			<p>भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।—प्रमुचिनि</p> <p>कार्मिक विभाग द्वारा सभी मुख्यालय तथा फील्ड ईकाइ को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई हेतु दिशा निर्देश जारी कर दिये गए हैं। कल्याण निरीक्षक द्वारा फील्ड में भ्रमण कर सभी रेलवे कर्मचारी से संपर्क कर तथा इसके फायदों को बताकर फार्म भरने के लिए उत्साहित किए जा रहे हैं। निर्माण विभाग के संवेदकों के माध्यम से उनके कर्मचारी की भागीदारी सुनिश्चित कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए कार्य निरीक्षक को दिशा निर्देश दिया जा चुका है।—मुप्रधि/नि./उ</p> <p>प्रधानमंत्री बीमा योजना के प्रचार प्रसार हेतु सभी मंडलों एवं यूनिटों को भी इस संबंध में अपेक्षित दिशा निर्देश जारी किया गया है।—प्रमुकाधि</p> <p>नोट किया गया।—प्रमुइं</p>
6.4	रेलकर्मियों के अच्छे कार्यों की चर्चा सोशल मीडिया पर होनी चाहिए।	सभी प्रविभागाध्यक्ष	<p>अनुपालन हेतु नोट किया गया।—प्रमुसिदूइं</p> <p>नोट किया गया।—प्रमुविइं</p> <p>नोट किया गया।—मुसंधि</p> <p>सोशल मीडिया में रेलकर्मियों की अच्छे कार्यों की चर्चा होती है।—प्रमुयाइं</p> <p>रेल कर्मियों के अच्छे कार्यों के मुल्यांकन तथा उसके कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित करने का प्लेटफॉर्म पहले से उपलब्ध है अतः उनके कार्यों की चर्चा सोशल मीडिया पर होना केवल एक प्रचार होगा उनका सम्मान नहीं।—प्रमुसाप्र</p> <p>नोट किया गया।—प्रविस</p> <p>अनुपालन किया जा रहा है।—प्रमुवाप्र</p> <p>अच्छे कार्यों के सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार हेतु मुख्य जनसंपर्क अधिकारी को सूचित किया जाता है।—प्रमुचिनि</p> <p>नोट किया गया।—मुप्रधि/नि./उ</p> <p>यह कार्य प्रशासन के पब्लिसिटी विभाग द्वारा किया जाता है।—प्रमुपरिप्र</p> <p>सोशल मीडिया हेतु जनसंपर्क अधिकारी अधिकृत हैं।—प्रमुकाधि</p>

		मुजसंधि	रेलकर्मियों के अच्छे कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाता है। –प्रमुङ्ग सुनिश्चत की जा रही है।
7.0	श्री आर. एन. पासवान, जोनल महासचिव , एससी एसटी एशो.		
7.1	रेलवे द्वारा नीलाम की गई जमीन पर सागवान का वृक्षारोपण कराया जाए जिससे 20 वर्षों के बाद वह वृक्ष रेलवे का एक परिसंपत्ति हो जाएगा ।	प्रमुङ्ग	नोट किया गया।
7.2	स्वच्छता हेतु कॉलनी में एक समूह बनाकर स्वच्छता के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है । इसके लिए समय—समय पर सेमिनार का भी आयोजन किया जाना चाहिए ।	प्रमुचिनि प्रमुकाधि	वमंचिधि/स्वास्थ्य, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक एवं अन्य अधिकारियों के द्वारा समय—समय पर निरीक्षण कर स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाता है। रेलवे कॉलोनियों में कॉलोनी कमीटी पूर्व से ही गठित है तथा उनके बीच जागरूकता फैलाने में मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा भी उचित पहल किया जाना चाहिए। कॉलोनी में सफाई संबंधी कार्य चिकित्सा विभाग द्वारा नियंत्रित की जाती है।
7.3	प्रधानमंत्री बीमा योजना के बारे में सभी रेलकर्मी को जागरूक करने की आवश्यकता है ।	सभी प्रविभागाध्यक्ष	अनुपालन हेतु नोट किया गया।—प्रमुसिदूँ नोट किया गया। — प्रमुविझं नोट किया गया। — मुसंधि सभीरेलकर्मियों को प्रधानमंत्री बीमा योजना के बारे में जागरूक किया जा रहा है।—प्रमुयाँई इन बीमा योजनाओं का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को इसका लाभ देना है अतः कर्मचारियों के बीच इसका प्रचार प्रसार आवश्यक है, इसके लिए कार्मिक विभाग को कार्य करना चाहिए।—प्रमुसाप्र नोट किया गया। —प्रविस जन संपर्क विभाग द्वारा इस दिशा में कार्रवाई की जानी है।—प्रमुवाप्र अनुपालन किया जा रहा है। —मुप्रधि/नि./उ नोट किया गया। — प्रमुपरिप्र प्रधानमंत्री बीमा योजना के प्रचार प्रसार के लिए वैशाली रेल प्रेक्षागृह में दिनांक 27.08.18 को सेमिनार आयोजित की गयी है। इस कार्यालय के पत्र सं0 ईसीआर/आआरडब्ल्यू/ पीएमएस

			<p>—पीएमजेजेबीबाई /2018 दिनांक 03. 09.2018 द्वारा सभी मंडलों एवं यूनिटों को भी इस संबंध में अपेक्षित दिशा निर्देश जारी किया गया है।—प्रमुकाधि सभी रेल कर्मचारियों के इस संबंध में जागरूक किया जा रहा है।—प्रमुझ</p>
7.4	सोशल मीडिया में अच्छे कार्य के लिए सराहना किया जाना अच्छी बात है। अगर किसी रेलकर्मी से कोई गलती सोशल मीडिया पर हो जाए तो उसपर सर्विस कंडक्ट रूल नहीं लागू किया जाए।	सभी प्रविभागाध्यक्ष	<p>अनुपालन हेतु नोट किया गया।—प्रमुसिद्दूङ् नोट किया गया।—प्रमुविझं नोट किया गया।—मुसंधि नोट किया गया।—प्रमुयांई सर्विस कंडक्ट रूल अधिकारियों/कर्मचारियों का एक परिसीमन है अतः सोशल मीडिया पर किसी प्रकार का उलंघन इस नियम के तहत नहीं होना चाहिए।—प्रमुसाप्र नोट किया गया।—प्रविस सोशल मीडिया के उपयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। सर्विस कंडक्ट रूल की कार्रवाई में आरोपी को अपना पक्ष रखने का प्रावधान है और निर्धारित प्रक्रिया द्वारा निस्तारण होता है।—प्रमुवाप्र चिकित्सा विभाग से संबंधित नहीं है।—प्रमुचिनि नोट किया गया।—मुप्रधि/नि./उ यह कार्य प्रशासन के पब्लिसिटी विभाग द्वारा किया जाता है।—प्रमुपरिप्र नोट कियागया।—प्रमुकाधि आकलन हेतु नोट किया गया।—प्रमुझ</p>
8.0	श्री पी.आर. सिंह , महासचिव, इसीआरपीओए		
8.1	रेलवे की खाली पड़ी जमीन पर प्रत्येक जिले के वन विभाग के डिपो से संपर्क कर उनके पास उपलब्ध पौधों को लगाया जाए तथा इसके संरक्षण की जिम्मेदारी भी वन विभाग को ही सौंप दिया जाए।	प्रमुझ	रेलवे की खाली पड़ी जमीन का सर्वे करा कर वन विभाग से पत्राचार किया जा रहा है एवं वन विभाग से प्रस्ताव मंगाया जायेगा।
8.2	संरक्षा कोटि से जुड़े रेल कर्मचारियों के जैसा ही अधिकारियों को भी संरक्षा क्षतिपूर्ति दिया जाए। इसी प्रकार	प्रमुकाधि	नियमानुसार कार्यालय कर्मचारियों को भी क्षतिपूर्ति अवकाश प्रदान किया जाता है।

	कार्यालय कर्मचारियों के लिए भी आक्रिस्मकता की स्थिति पारिभाषित किया जाना चाहिए तथा संरक्षा कोटि की तरह ही कार्यालय कर्मचारियों को भी क्षतिपूर्ति दिया जाए ।		
8.3	गैर संरक्षा कर्मचारियों को प्रधानमंत्री बीमा योजना से जोड़ देना चाहिए ।	प्रमुकाधि	प्रधानमंत्री बीमा योजना के प्रचार प्रसार के लिए वैशाली रेल प्रेक्षागृह में दिनांक 27.08.18 को सेमिनार आयोजित की गई है। इस कार्यालय के पत्र सं0 ईसीआर/आरडब्ल्यू/ पीएमएस –पीएमजेजेबीबाई /2018 दिनांक 03. 09.2018 द्वारा सभी मंडलों एवं यूनिटों को भी इस संबंध में अपेक्षित दिशा निर्देश जारी किया गया है।
9.0	श्रीविष्णु कुमार ,प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक सह अध्यक्ष/ईसीआरओए		
9.1	स्वच्छता अभियान को सफल बनाएं ।	सभी प्रविभागाध्यक्ष	अनुपालन कियाजा रहा है।— प्रमुसिदूइं नोट किया गया। — प्रमुविइं नोट किया गया। — मुसंधि दिनांक—15 सितंबर से 02 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता ही सेवा—2018, स्वच्छता अभियान में पूमरे के सभी मंडलों, शेडों एवं कारखानों में सरकारी एवं गैर—सरकारी संगठनों की सक्रिय भागीदारी द्वारा स्वच्छता अभियान सफलतापूर्वक मनाया गया।—प्रमुयाईं स्वच्छता अभियान को दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाते हुए लोगों के मन में जागरूकता पैदा कर उसे सफल बनाया जा सकता है।—प्रमुसाप्र नोट किया गया। —प्रविस स्टेशनों और रेल गाड़ियों की स्वच्छता को सुनिश्चित करने केलिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं।—प्रमुवाप्र स्वच्छता अभियान को सफल बनाए रखने के लिए समय—समय पर स्वच्छ जागरूकता अभियान चलाया जाता है।—प्रमुचिनि इस संबंध प्रयास जारी है।—मुप्रधि/नि./उ नोट किया गया। इसका ध्यान रखा जाता है। — प्रमुपरिप्र

			नोट कियागया।—प्रमुकाधि स्वच्छता एक सत्‌त प्रयास है जिसे सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है।—प्रमुझ
10.0	श्रीकेऽसी० सैन्सी ,प्रमुख मुख्य इंजीनियर		
10.1	सोनपुर, समर्स्टीपुर, एवं मुगलसराय मंडल में रेलवे ठेके पर वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण करवाता है तथा दानापुर एवं धनबाद मंडल में विभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्य किया जाता है। संरक्षण हेतु वन विभाग से एक्सपर्ट की राय लेने की जरूरत है। लाभों का बंटवारा रेलवे को 75 प्रतिशत एवं वन विभाग को 25 प्रतिशत दिया जाता है। विभाग संरक्षण हेतु पॉलिसी जारी करेगा।	प्रमुकाधि प्रमुझ	वृक्षारोपण संबंधी कार्य इंजीनियरिंग विभाग द्वारा संपादित किया जाता है। नोट किया गया।
11.0	श्री एस० के० झा ,प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक		
11.1	रेल के बिछाने के क्रम में जंगलों की काफी कटाई हो चुकी है। रेल विभाग वृक्षारोपण कर कुछ भारपाई कर सकता है।	प्रमुझ	रेलवे विभाग द्वारा समय—समय पर वृक्षारोपण कराया जाता है।
11.2	स्वच्छता के बारे में आप कितना भी प्रचार प्रसार कर लें लेकिन जब तक आपकी मानसिक पहलू ठीक नहीं होंगे इसमें शत—प्रतिशत सफलता नहीं मिलेगी।	सभी प्रविभागाध्यक्ष	अनुपालन कियाजा रहा है।—प्रमुसिद्धूङ्ग नोट किया गया।—प्रमुविझ नोट किया गया।—मुसंधि मानसिक रूप से स्वच्छता अपनाने करने हेतु स्थानीय कलाकारों द्वारा ए—१ एवं ए कोटि के स्टेशनों पर नुककड़ नाटक का आयोजन किया गया, कार्टुन चरित्र बनाए गए एवं उनके माध्यम से प्रचार—प्रसार किया गया ताकि मानसिक पहलु ठीक हो सके।—प्रमुयांई यदि दृढ़ संकल्प के साथ स्वच्छता का कार्य किया जाए तो इस दिशा में शत—प्रतिशत सफलता प्राप्त की जा सकती है।—प्रमुसाप्र नोट किया गया।—प्रविस राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन के तहत सभी स्टेशनों

			<p>पर सफाई अभियान चलाते हुए स्टेशनोंकीसाफ़-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मानसिक पहलू का तात्पर्य रेल कर्मियों और रेल परिसर/ गाड़ियों का उपभोग करने वाले यात्रियों की मानसिकता से है, जिसे कार्यालयों में कार्यशाला जैसे आयोजनों से और महत्वपूर्ण स्टेशनों पर यात्रियों को पोस्टर, बैनर एवं जन संबोधन प्रणाली के माध्यम से स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है।—प्रमुकाधि सहमत है।—प्रमुचिनि अनुपालन कियाजा रहा है।—मुप्रधि/नि. /उ</p> <p>नोट किया गया। — प्रमुपरिप्र स्वच्छता एवं उससे होने वाले लाभों के बारे में जागरूकता लाना आवश्यक है। यह जन जागरूकता से ही संभव है।—प्रमुकाधि स्वच्छता के लिए रेल प्रशासन द्वारा बार—बार जागरूक एवं पखवारा चलाने पर एक दिन शत प्रतिशत सफतला मिलेगी।—प्रमुझँ</p>
12.0	श्री वाई. पी. सिंह, प्रधान मुख्य संकेत एवं दूरसंचार इंजीनियर		
12.1	रेलवे में खाली पड़े जमीन पर एक पॉलिसी बनाकर ही वृक्षारोपण करवाया जाए क्योंकि खाली पड़े जमीन पर रेलवे के कई आवश्यक तार एवं केबुल आदि लगे होते हैं तथा आवश्यकतानुसार कम या ज्यादा करना पड़ता है। अतः रेलवे की सुविधाओं का इसमें पूरा—पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए।	प्रमुझँ प्रमुसिदूङँ	नोट किया गया। नोट किया गया।
12.2	कचड़े को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर बिना प्रोसेसिंग किए हुए नहीं फेंका जाना चाहिए।	प्रमुचिनि प्रमुवाप्र प्रमुयांझँ	सुनिश्चित किया जाता है। इस सुन्नाव का तकनीकी पक्ष भी है जिस हेतु इंजीनियरिंग और ENHM विभाग को आवश्यक कार्रवाई करनी होगी। कचरे के प्रोसेसिंग हेतु वेस्ट टू इनर्जी प्लांट का प्रस्ताव पाटलिपुत्रा एवं बरौनी स्टेशनों पर प्रक्रियाधीन है।
12.3	सोशल मीडिया पर अच्छे कार्य को सीधे रूप से नहीं देकर मुख्य	सभी प्रविभागाध्यक्ष	अनुपालन हेतु नोट किया गया।— प्रमुसिदूङँ

	जनसंपर्क के माध्यम से दिया जाना चाहिए ।		नोट किया गया । – प्रमुखिं नोट किया गया । – मुसंधि इसके लिए सभी मंडलों एवं शेडों को दिशा निर्देश दी गई है ।—प्रमुखाई रेलवे के कार्य प्रणाली में सूचना एवं प्रसारण के लिए मुख्य जनसंपर्क अधिकारी को अधिकारिक रूप से अधिकृत किया गया है अतः कर्मचारियों/अधिकारियों के द्वारा उच्छे कार्यों को मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के माध्यम से ही प्रकाशित की जानी चाहिए ।—प्रमुखाप्र नोट किया गया । –प्रविस उचित सुझाव है ।—प्रमुखाप्र मुख्य जनसंपर्क अधिकारी को ही प्रेषित किया जाता है ।—प्रमुखिनि नोट किया गया । –मुप्रधि/नि./उ जन संपर्क विभाग द्वारा ही इसका प्रचार प्रसार किया जाता है ।— प्रमुखप्रिप्र इसका पालन किया जाता है । सोशल मीडिया हेतु जनसंपर्क अधिकारी ही अधिकृत हैं ।—प्रमुखाधि सुझाव अनुपालन हेतु नोट किया गया । — प्रमुझ विभागों से सूचना प्राप्त होते ही कार्रवाई की जाती है ।	मुजसंधि
13.0	श्री आलोक कंसल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण/उत्तर			
13.1	वृक्षारोपण हेतु लक्ष्य निर्धारित किया जाए तथा उसे शत-प्रतिशत पूरा किया जाए ।	प्रमुझ	वृक्षारोपण हेतु लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा एवं शत-प्रतिशत पूरा करने का प्रयास किया जायेगा ।	
13.2	स्वच्छता हेतु सभी को वर्ष में कम से कम 100 घंटे का श्रमदान करना चाहिए ।	सभी प्रविभागाध्यक्ष	अनुपालन हेतु नोट किया गया ।— प्रमुखिदूझ नोट किया गया । – प्रमुखिं नोट किया गया । – मुसंधि स्वच्छता के प्रति जबतक दृढ़ संकल्प होकर श्रमदान नहीं किया जाएगा तबतक इसमें शत-प्रतिशत सफलता प्राप्त नहीं किया जा सकता है ।—प्रमुखाप्र नोट किया गया । —प्रविस कर्मचारी संगठन इस सुझाव को प्रभावी ढंग से कर्मचारियों के बीच प्रसारित करें । फिर, समय समय पर विभिन्न स्टेशनों पर संगठित रूप से	

				अभियान चलाया जाय जिसमें कर्मचारी/अधिकारी सम्मिलित रूप से स्वैच्छक भागीदारी दें।—प्रमुवाप्र सुनिश्चित किया जाता है।—प्रमुचिनि नोट किया गया।—मुप्रधि/नि./उ नोट किया गया।—प्रमुपरिप्र नोट कियागया।—प्रमुकाधि स्वच्छता हेतु सभी कर्मचारियों को वर्ष में कम से कम 100 घंटे का श्रमदान करने हेतु प्रतोसहित किया जायेगा।—प्रमुइं
13.3	कार्यालय की रद्दी का निपटारा करें तथा इसे रिसाईकिल करें।	सभी प्रविभागाध्यक्ष		अनुपालन हेतु नोट किया गया।—प्रमुसिदूइं नोट किया गया।—प्रमुविइं नोट किया गया।—मुसंधि इसके अंतर्गत हर कार्यालय में कतरनी मशीन(श्रेडर) का प्रस्ताव है। हर कार्यालय/विभाग में प्रतिदिन अपना अनुपयोगी कागज कतरनी मशीन में निष्पादित करेगा।—प्रमुयाईं कार्यालय में पड़ी रद्दी सामानों के निपटारा के लिए प्रक्रिया उपलब्ध है।जैसे—कंडमेशन—डीएस-8/ एनएस-11 बनाना—संबंधित डिपो को भेजा जाना चाहिए। कुछ मदों को रिसाईकिल किया जा सकता है इसके लिए विशेष दिशा निर्देश की आवश्यकता है।—प्रमुसाप्र नोट किया गया।—प्रविस अनुपालन का प्रयास किया जा रहा है।—प्रमुवाप्र नोट किया गया।—प्रमुपरिप्र पुराने फाईलों को रेलवे बोर्ड के नियमानुसार नष्ट करने हेतु निर्देश जारी किया जा चुका है। इस दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है।—प्रमुकाधि नोट किया गया।—प्रमुइं
13.4	स्वच्छता में अधिकारी एवं कर्मचारी दोनों शामिल होने चाहिए।	सभी प्रविभागाध्यक्ष		अनुपालन हेतु नोट किया गया।—प्रमुसिदूइं नोट किया गया।—प्रमुविइं नोट किया गया।—मुसंधि स्वच्छता में अधिकारियों एवं कर्मचारियों दोनों का ही सक्रिय भागीदारी स्वच्छता ही सेवा-2018 के दौरान रहा।—प्रमुयाईं

			<p>रेल परिसर में स्वच्छता के मानक को शत-प्रतिशत हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ रेल कर्मियों को सामिल होना चाहिए।—प्रमुसाप्र नोट किया गया।—प्रविस स्वच्छता अभियान में अधिकारी एवं कर्मचारी दोनों ही शामिल होते हैं।—प्रमुवाप्र नोट किया गया।—मुप्रधि/नि./उ अधिकारी एवं कर्मचारी दोनों को ही शामिल किया जाता है।—प्रमुपरिप्र नोट कियागया।—प्रमुकाधि स्वच्छता में अधिकारी एवं कर्मचारी दोनों शामिल रहते हैं।—प्रमुइं</p>
13.5	कॉलनी में डोर-टु-डोर कचड़ा उठाव के लिए एक साईकिल उपलब्ध कराया जाए।	प्रमुवाप्र	इंजीनियरिंग/मेडिकल और कार्मिक विभाग द्वारा कार्रवाई की जानी है।
13.6	प्रति दिन कम से कम 02 अच्छे कार्य सोशल मीडिया पर डालें।	सभी प्रविभागाध्यक्ष मुजसंधि	<p>अनुपालन हेतु नोट किया गया।—प्रमुसिदूइं नोट किया गया।—प्रमुविइं नोट किया गया।—मुसंधि इसके लिए सभी मंडलों को दिशा निर्देश दी गई है।—प्रमुयाइं मुख्य जनसंपर्क अधिकारी रेलवे के विकास तथा अन्य सूचना एवं प्रसारण कार्यों के लिए अधिकृत है अतः इस दिशा में उनके द्वारा कार्य किया जाना चाहिए।—प्रमुसाप्र नोट किया गया।—प्रविस नोट किया गया।—मुप्रधि/नि./उ नोट किया गया।—प्रमुपरिप्र नोट कियागया।—प्रमुकाधि नोट किया गया।—प्रमुइं सुनिश्चित की जा रही है।</p>
14.0	श्री शशिकान्त मिश्रा, वित्तसलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी (भं एवं का)		
14.1	वृक्षारोपण कर इसके संरक्षण की प्रक्रिया फुलपूर्फ होनी चाहिए।	सभी प्रविभागाध्यक्ष	<p>अनुपालन हेतु नोट किया गया।—प्रमुसिदूइं नोट किया गया।—प्रमुविइं नोट किया गया।—मुसंधि वृक्षारोपण का अर्थ ही है—रोपण-सिचाई—संरक्षण। अतः इस दिशा में</p>

				अधिकारी एवं कर्मचारी को जानकारी देकर वृक्षारोपण को फूलपुरुष किया जा सकता है।—प्रमुसाप्र नोट किया गया।—प्रविस इंजीनियरिंग विभाग द्वारा कार्बाई की जानी है।—प्रमुवाप्र नोट किया गया।—मुप्रधि/नि./उ नोट किया गया। ध्यान रखा जाता है।—प्रमुपस्त्रिप्र वृक्षारोपण संबंधी कार्य इंजीनियरिंग विभाग द्वारा संपादित किया जाता है।—प्रमुकाधि वृक्षारोपण कर उसके संरक्षण हेतु भरपूर प्रयास किया जायेगा।—प्रमुझ
14.2	कचड़े का निस्तारण आवास के आसपास गड्ढा बनाकर उसमें डालना चाहिए तथा बायोडिग्रेडेशन किया जाना चाहिए।	प्रमुचिनि प्रमुवाप्र प्रमुयांई प्रमुझ	सुझाव सराहनीय है। इंजीनियरिंग और मेडिकल विभाग द्वारा कार्बाई की जानी है। कचरे का निस्तारण कर वर्मी कंपोस्ट बनाने की योजना पूमरे के दानापुर एवं समस्तीपुर मंडलों में शुरू की गई है। नोट किया गया।	
14.3	रेलकर्मियों को आधार नंबर की तरह पैन नंबर से भी जोड़ा जाना चाहिए।	प्रमुकाधि प्रविस	वेतन पत्र में सभी कर्मचारियों का पैन नंबर अंकित रहता है। नोट किया गया।	
15.0	श्री एन. पी. सिन्हा, प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक			
15.1	ऐसा नीति निर्धारण किया जाए कि जो भी नये अधिकारी/कर्मचारी रेलवे में योगदान देते हैं उनसे वृक्षारोपण कराया जाए। इसी प्रकार सेवानिवृत्त होने वाले रेलकर्मी को उपहार के रूप में एक पौधा दिया जाए जिसे अपने सुविधानुसार रोपन करें।	सभी प्रविभागाध्यक्ष	अनुपालन हेतु नोट किया गया।—प्रमुसिद्धूं नोट किया गया।—प्रमुविझं नोट किया गया।—मुसंधि नोट किया जाता है।—प्रमुयांई इस दिशा में कदम उठाया जा सकता है सभी नए कर्मचारियों एवं सेवानिवृत कर्मयारियों को इस संबंध में जानकारी दी जानी चाहिए एवं इसे अमल में भी लाना चाहिए।—प्रमुसाप्र नोट किया गया।—प्रविस कार्मिक विभाग द्वारा इस सुझाव पर फिजीबिलिटी के अनुसार विचार करें।—प्रमुवाप्र यह नीतिगत मामला है।—प्रमुचिनि नोट किया गया।—मुप्रधि/नि./उ नोट किया गया।—प्रमुपस्त्रिप्र	

			वृक्षारोपण संबंधी कार्य इंजीनियरिंग विभाग द्वारा संपादित किया जाता है।—प्रमुकाधि नोट किया गया।—प्रमुझ
15.2	सुखा, गीला एवं मेटल कचड़ा जमा करने हेतु 03 अलग—अलग डस्टबीन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।	प्रमुवाप्र प्रमुयाई	स्टेशनों पर डस्टबीन उपलब्ध करा दिया गया है। गीले एवं सूखे कचरे के निस्तारण हेतु नीला एवं हरा अलग—अलग कूड़ेदान की व्यवस्था पूमरे के सभी ए—1 एवं ए कोटि के स्टेशनों पर की जा रही है।
16.0	डॉ आर. सी. त्रिवेदी, प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक		
16.1	वृक्षारोपण हेतु जन—जागरण करने की आवश्यकता है।	सभी प्रविभागाध्यक्ष मुजसंधि	अनुपालन कियाजा रहा है।—प्रमुसिदूझ नोट किया गया।—प्रमुविझ नोट किया गया।—मुसंधि प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस(05 जून) के दौरान पूर्व मध्य रेल के मुख्यालय, सभी मंडलों, कारखानों एवं डीजल शोर्डों में वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया जाता है एवं बृहत् रूप से वृक्षारोपण हेतु जन—जागरण किया जाता है।—प्रमुयाई वृक्षारोपण के प्रति लोंगों में चेतना लाने की आवश्यकता है अतः सोशल मीडिया के माध्यम से जन जागरण किया जा सकता है।—प्रमुसाप्र नोट किया गया।—प्रविस इंजीनियरिंग और जन संपर्क विभाग द्वारा इस पर कार्रवाई कर सकते हैं।—प्रमुवाप्र नोट किया गया।—मुप्रधि/नि./उ जन संपर्क विभाग द्वारा ही इसका प्रचार प्रसार किया जाता है।—प्रमुपरिप्र नोट कियागया।—प्रमुकाधि वृक्षारोपण हेतु रेल कर्मचारियों को जागरूक करने हेतु भरपूर प्रचार—प्रसार किया जा रहा है।—प्रमुझ संबंधित विभाग से यदि सूचना प्राप्त होती है तो इसका प्रचार—प्रसार किया जा सकता है
17.0	श्री रविन्द्र वर्मा, प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त		
17.1	वृक्षारोपण हेतु जन—जागरण करने की आवश्यकता है।	सभी प्रविभागाध्यक्ष	नोट किया गया।—प्रमुविझ नोट किया गया।—प्रमुविझ

			<p>नोट किया गया। – मुसंधि प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस(05 जून) के दौरान पूर्व मध्य रेल के मुख्यालय, सभी मंडलों, कारखानों एवं डीजल शेडों में वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया जाता है एवं बृहत् रूप से वृक्षारोपण हेतु जन-जागरण किया जाता है।—प्रमुयांई</p> <p>नोट किया गया। –प्रविस नोट किया गया। –मुप्रधि/नि./उ जन संपर्क विभाग द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया जाता है।—प्रमुपरिप्र</p> <p>नोट किया जाता है। समय समय पर स्वच्छता अभियान कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।—प्रमुकाधि वृक्षारोपण हेतु रेल कर्मचारियों को जागरूक करने हेतु भरपूर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।—प्रमुइं</p> <p>संबंधित विभाग से यदि सूचना प्राप्त होती है तो इसका प्रचार-प्रसार किया जा सकता है</p>
17.2	स्वच्छता हेतु श्रमदान जरूरी है।	सभी प्रविभागाध्यक्ष	<p>अनुपालन हेतु नोट किया गया।—प्रमुसिदूइं नोट किया गया। – प्रमुविइं नोट किया गया। – मुसंधि स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के दौरान पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलों एवं रेलवे परिसरों में 22 सितम्बर, 2018 को श्रमदान द्वारा विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया।—प्रमुयांई</p> <p>सहमत। इस दिशा में रेल कर्मियों को जागरूक करने की आवश्कता है।—प्रमुसाप्र</p> <p>नोट किया गया। –प्रविस कर्मचारी संगठन इस सुझाव को प्रभावी ढंग से कर्मचारियों के बीच प्रसारित करें। फिर, समय समय पर विभिन्न स्टेशनों पर संगठित रूप से अभियान चलाया जाय जिसमें कर्मचारी / अधिकारी सम्मिलित रूप से स्वैच्छिक भागीदारी दे।—प्रमुवाप्र</p> <p>कार्यस्थल की साफ सफाई हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा श्रमदान किया जाता है।—प्रमुचिनि</p>

				नोट किया गया।—प्रमुझं
17.3	सोशल मीडिया का प्रयोग करने हेतु कर्मचारियों को जागरूक करने की आवश्यकता है।	सभी प्रविभागाध्यक्ष मुजसंधि		<p>अनुपालन हेतु नोट किया गया।—प्रमुखिदूङ्घं</p> <p>नोट किया गया।—प्रमुविङ्घं</p> <p>नोट किया गया।—मुसंधि</p> <p>सभी कर्मचारियों को सोशल मीडिया का प्रयोग करने के लिए जागरूक किया जा रहा है।—प्रमुयांई</p> <p>रेल कर्मियों को सोशल मीडिया का प्रयोग करने की आजादी सर्विस कंडक्ट रूल के परिसीमन के अंदर है।—प्रमुसाप्र</p> <p>नोट किया गया।—प्रविस</p> <p>सोशल मीडिया का उपयोग करने हेतु सभी कर्मचारियों को जागरूक किया जा रहा है।—प्रमुवाप्र</p> <p>सुनिश्चित किया जाता है।—प्रमुचिनि</p> <p>नोट किया गया।—मुप्रधि/नि./उ</p> <p>नोट किया गया।—प्रमुपरिप्र</p> <p>सोशल मीडिया के उपयोग का व्यापक प्रचार प्रसार एवं उसके लिए प्राप्त निर्देश का अनुपालन करने हेतु एक सेमिनार दिनांक 27.08.2018 को आयोजित की गई थी। साथ ही इस कार्यालय द्वारा सभी विभागों/मंडलों को निर्देश भी जारी किया गया है।—प्रमुकाधि</p> <p>सोशल मीडिया का प्रयोग करने हेतु रेल कर्मचारियों को सतत जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है।—प्रमुझं</p> <p>सुनिश्चित की जा रही है। इस संबंध में पिछले दिनों मुख्यालय के सभाकक्ष में एक सेमीनार का भी आयोजन किया गया जिसमें मुख्यालय एवं मंडलों के कर्मचारी शामिल हुए।</p>
